भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग(पू.क्षे)
का र्मक ,लोक शकायत तथा पेंशन मंत्रालय
का र्मक तथा प्र शक्षण वभाग
निज़ाम पैलेस, प्रथम एमएसओ भवन(8वां तल),234/4,एजेसी बोस रोड ,कोल-700020
(वैबसाइट:www.sscer.org)

सत्यमेव जयते

सूचना

वज्ञापन संख्या.ईआर-01/2016

सरकार ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयत्न कर रही है, जिसमे लंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो और महिला अभ्य र्थयों को आवेदन करने के लए प्रोत्साहित क्या जा रहा है।

म सल संख्या:11/1/2016-भर्ती अंतिम ति थः 26.09.2016

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्वित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।"

इस विज्ञप्ति के पैरा 4 में उल्लिखित चयन पदों के लिए, इस विज्ञप्ति के पैरा 6 के अंतर्गत यथा-उल्लिखित राष्ट्रीयता/नागरिकता वाले पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । केवल वे आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें वेबसाइट http://ssconline.nic.in/selectionposts के माध्यम से सफलतापूर्वक भरा गया है तथा जिनके ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट को समस्त अपेक्षित दस्तावेजों सहित कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त कर लिया गया है । आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दो चरणों में है-(i) पंजीकरण भाग और (ii) आवेदन भाग ।

2. अभ्यर्थियों को पद के लिए आवेदन करने से पूर्व भर्ती विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए तथा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विज्ञप्ति में यथा-उल्लिखित समस्त पात्रता शर्तों जैसे आयु सीमा/ अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव/जाति/श्रेणी इत्यादि को पूरा करते हैं । वे अभ्यर्थी, जो पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी अभ्यर्थिता को किसी सूचना के बिना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर र÷ किया जा सकता है । आवेदकों की अभ्यर्थिता, भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पूर्णतः **अनंतिम** होगी ।

3. आवेदन की प्रस्थिति से लेकर उपयोक्ता विभाग को चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन तक, जिसमें अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर./कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र भेजना भी शामिल हैं, इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचना कर्मचारी चयन आयोग पूर्वी क्षेत्र की वेबसाइट अर्थात् http:www.sscer.org पर उपलब्ध होगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम सूचना प्राप्त करने के लिए उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें ।

टिप्पणी : अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर भरने की सलाह भी दी जाती है क्योंकि आयोग द्वारा समस्त पत्राचार केवल ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से ही किया जाएगा ।

4.पद का ववरण:

(i)	पद प्रवर्ग सं. : ईआर-10116 (पुनः वज्ञा पत)	
	(क) पद का नाम	सहायक अ भलेखा धकारी (सामान्य)
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित
	(ग) रिक्ति	01 (01- अना- ओएच)
	(घ) विभाग	राष्ट्रीय अ भलेखागार, संस्कृति मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है)
	(च) वेतनमान	रु.9300/- - 34800/- , ग्रेड वेतन-4200/- (पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	अनिवार्य: 1. कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय अथवा समकक्ष से 1750 ई पश्चात की अव ध के भारतीय इतिहास में एक वैकल्पिक पेपर सहित इतिहास में मास्टर डग्री । **2.** अ भलेखीय अध्ययन में डप्लोमा अथवा 1750 के आगे की अव ध के आधुनिक भारतीय इतिहास में अनुसंधान/कसी मान्यता प्राप्त शै क्षक संस्थान में आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्यापन कसी सरकारी अ भलेख कार्यालय में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव । 3. कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय या समकक्ष से डग्री स्तर पर अग्रेजी एक वषय के रूप में । टिप्पणी 1:-अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्य थयों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के ववेकानुसार श थल की जा सकती हैं । 2. अनुभव संबंधी अर्हिताएं संघ लोक सेवा आयोग के ववेकानुसार अनुसू चत जाति, अनुसू चत जनजातियों के अभ्य थयों के मामले में उस दशा में श थल की जा सकती है जब क चयन के कसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है क इनके लए आर क्षत रिक्तओं को भरने के लए अपे क्षत अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।

	(ज) वांछनीय योग्यता	आधुनिक भारतीय इतिहास में अनुसंधान/कसी मान्यता प्राप्त शै क्षक संस्थान में आधुनिक भारतीय इतिहास में अध्यापन का अनुभव (अ भलेखीय अध्ययन में डप्लोमा धारकों के लए)
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ नई दिल्ली /भोपाल/ जयपुर/ पुडुचेरी/ भूबनेश्वर।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	i) लोक अ भलेखों का मूल्यांकन, प्रतिधारण समय सूची का अनुवीक्षण, तथा अ भलेख प्रबंधन, अ भलेखों की अवाप्ति और व्यवस्था प्रदर्शनी का आयोजन, निजी अ भलेखों की निर्दे शका तथा राष्ट्रीय पंजी के संकलन से संबं धत कार्यकलापों का निष्पादन करना । ii) अ भलेखों, निजी दस्तावेज़ों, मान चत्रों, योजना, चार्ट तथा स्वचा लत शोध साधनों हेतु व भन्न प्रकार के शोध साधनों का संकलन। iii) मरम्मत, परिरक्षण तथा मकरो फल मंग के प्रयोजनार्थ दस्तावेज़ो का चयन करना । iv) पत्राचार से संबं धत कार्य तथा व भन्न रिपोर्टे और ववरण तैयार करना । v) कार्यशालाओं, संगोष्ठी, प्रदर्शनियों के आयोजन में अ भलेख अ धकारी (सामान्य) का सहायता करना । अनुसंधान कक्ष/प्रदर्शन संबंधी कर्तव्यों का निष्पादन करना । vi) बाह्य एजें सयों तथा शोधा र्थयों की मांग पर उन्हे अ भलेखों से सूचना मुहैया कराने के लए बाह्य तथा सरकारी एजें सयों की ओर से शोध संबंधी मामलों पर कार्रवाई करना । vii) अ भलेख महानिदेशक अथवा अन्य वरिष्ठ अ धकारियों द्वारा समय-समय पर दिया गया अन्य कार्य करना ।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद केवल ओएच(ओएल एवं ओए) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(ii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10216 (पुनः वज्ञा पत)	

	(क) पद का नाम	आंकड़ा प्रक्रमण सहायक
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'सी', गैर तकनीकी
	(ग) रिक्ति	01 (01-जिसमे ओएच या/और एचएच शा मल है)
	(घ) विभाग	वा णज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, वा णज्य वभाग, वा णज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कोलकाता
	(ङ) आयु	18-27 वर्ष (आयु सीमा में छूट निर्देशानुसार मान्य है)
	(च) वेतनमान	रु.5200/- - रु.20200/-, ग्रेड वेतन रु.2400/-(पीबी-1) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय से वज्ञान, ग णत, अर्थशाश्त्र, वा णज्य,सांख्यिकी या समतुल्य वषय में स्नातक। (ii) कसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन में डप्लोमा या प्रमाणपत्र अथवा उपयुक्त परीक्षण द्वारा निर्णय कए जाने वाला प्रोग्रा मंग ,प्रणाली प्रचालन एवं प्रणाली वश्लेषण का ज्ञान । टिप्पणी: 1- अन्य रूप से सुनिश्चित व्यक्तियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्रा धकारी के स्व ववेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। 2-कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्रा धकारी द्वारा कसी भी समय यदि यह राय बनती है क उनके द्वारा भरे जाने वाले पदों के लए इन समुदायों के अपे क्षत अर्हता प्राप्त अभ्य र्थयों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो अनुसू चत जाती या अनुसू चत जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव के संबंध में अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायितव के साथ कोलकाता ।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	1.) दै.व्या. व का संग्रहण एवं बैच बनाना।

		2.)छद्मवेशी अर्थात असामान्य उच्च/निम्न प्रमात्रा/मूल्य आंकड़े एवं अवैध सु.प./देश पत्तन कोडो की पहचान हेतु प्रथम स्तरीय जांच। 3.) मैनुअल दै.व्या. व. की संगणना। 4.) दै.व्या. व. की मेनफ्रेम कम्प्यूटर में आंकड़ा प्र वष्टि । 5.)जलयानों/वायुयानों इत्यादि के निर्यात/आयात से सम्बं धत आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रक्रमण। 6.)“भारत के वदेश व्यापार की सांख्यिकी” (प्रमुख पण्य/देश/पत्तन) के प्रकाशन हेतु अनंतिम आंकड़ो सहित आंकड़े की मध्य स्तरीय एकरूपता जांच एवं मान्यकरण। 7.)आंकड़े का अद्यतनीयकरण । 8.)आंकड़ा प्रयोगकर्ताओं की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु वशेष सार णयों के जनन हेतु निय मत आधार पर आंकड़ों की संगणना एवं प्रक्रमण। 9.)संसदीय प्रश्नों , वी.आई.पी. संदर्भो , व भन्न अन्वेषण अ भकरणों इत्यादि का उत्तर बनाने हेतु वशेष सार णयों की संरचना। 10.)सम्पूर्ण देश के व भन्न समुद्र पत्तनों/सीमा शुल्क क्षेत्रों से तटीय व्यापार दै.व्या. व./जहाजरानी ववर णयों का संग्रहण। 11.)रेल, नदी एवं वायुमार्ग से अंतर्देशीय व्यापार के सम्बंध में ववर णयों का संग्रहण। 12.)केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क प्रा धकारियों से आंकड़ों का संग्रहण। 13.)तटीय व्यापार दै.व्या. व./अंतर्देशीय व्यापार ववर णयों की संगणना, संकेतीकरण। 14.)प्रकाशनों हेतु आंकड़ा प्रक्रमण , मान्यकरण एवं सारणीयन , क : भारत के अंतर्देशीय तटीय व्यापार परेषणों की सांख्यिकी। ख : भारत के वदेश एवं तटीय नौभार संचलन की सांख्यिकी। ग : रेल , नदी एवं वायुमार्ग से मालों का अंतर्राज्य संचलन/बहाव। घ : भारत के वदेश व्यापार की चयनित सांख्यिकी । ङ : भारतीय संघ की सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रह की

		सांख्यिकी। 15.) वद्यमान एवं संभाव्य निर्यातकों , व्यापार संगठनों इत्यादि को सूचना/आंकड़ों की आपूर्ति। 16.)निर्यातकों एवं आयातकों की निदे शका हेतु व भन्न श्रोतों यथा दै.व्या. व., व.व्या.म.नि. एवं व्यापार संगठनों इत्यादि से प्राप्त आंकड़े/सूचना का संग्रहण , संकलन एवं संवीक्षा । 17.)निर्यातकों एवं आयातकों की सूचनाओं के सत्यापन हेतु निर्यातकों , आयातकों , वत्तीय संस्थानों , बैंकों , व्यापार संगठनों , मंत्रालयों इत्यादि से पत्राचार। 18.) वदेश व्यापार में वकास के सम्बंध में व भन्न प्रकाशनों/समाचारपत्रों का सूक्ष्म वीक्षण। 19.)नि वदाओं की प्राप्ति, छटांई, जांच एवं वर्गीकरण। 20.)व्यापार जिज्ञासाओं पर सूचना का संग्रहण। 21.)देश प्रोफाईल/पण्य प्रोफाईल तैयार करने हेतु व भन्न श्रोतों से सामग्री का संग्रहण। 22.)उच्चा धकारियों द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले कोई अन्य दायित्व।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद केवल एचएच (डी एवं पीडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(iii)	पद प्रवर्ग सं. :ईआर-10316 [पुनः वज्ञा पत]	

	(क) पद का नाम	डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा ,ग्रुप 'सी', गैर तकनीकी, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	01 (01- अ पव)
	(घ) विभाग	भारतीय वन सर्वेक्षण, वन एवं वन्य-जीव वभाग, पर्यावरण मंत्रालय,कोलकाता
	(ङ) आयु	18-28 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है)
	(च) वेतनमान	रु.5200/-रु.20200/-, ग्रेड वेतन रु.1900/-(पीबी-01) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	क) मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । ख) डुप्लीकेटिंग मशीन के प्रचालन संबंधी प्रमाण-पत्र ।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	डुप्लीकेटिंग मशीन का प्रचालन करना ।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद शारीरिक रूप से वकलांग व्यक्तियों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(iv)	पद प्रवर्ग सं. : ईआर-10416	

	(क) पद का नाम	वैज्ञानिक सहायक(यांत्रिक)
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	04 (02- अना, 01-अ पव, 01-अ.जा)
	(घ) विभाग	रक्षा उत्पादन वभाग, रक्षा मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है)
	(च) वेतनमान	रु.9300/-रु.34800/-, ग्रेड वेतन-4200/- (पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	संबन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव सहित यांत्रिक इंजीन्यरिंग में डप्लोमा अथवा यांत्रिक इंजीन्यरिंग में डग्री
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ सनाबेड़ा, जिला- कोरापुट, ओ डशा
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	वायुवाहित उपस्कर/ घटकों का गुणता आश्वासन/निरीक्षण, सैन्य वायुयानों के यांत्रिक और इससे जुड़े उपस्करों का मूल्यांकन।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद पीएच(पीडबल्यूडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं है।

(v)	पद प्रवर्ग सं. : ईआर-10516	
	(क) पद का नाम	वरिष्ठ अनुदेशक (बुनाई)
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	02(02-अना, जिसमे 01 रिक्ति ओएच उम्मीदवार के लए आर क्षत है।
	(घ) विभाग	भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान , वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, खेड़पाली, भटली रोड, पो- बरदोल, बारगढ़-768038, ओ डशा
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ , ग्रेड वेतन- 4200/ (पीबी-2)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	i) कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय या संस्थान से प्रौद्यो गकी या वस्त्र इंजीनियरिंग में डग्री; ii) कसी वस्त्र संस्थान या कसी हथकरघा उत्पादन यूनिट में हथकरघा या वस्त्र बुनाई में अनुदेशक के रूप में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; या i) कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय या संस्थान से वस्त्र प्रौद्यो गकी में तीन वर्षीय डप्लोमा या हथकरघा प्रौद्यो गकी में डप्लोमा या हथकरघा और वस्त्र प्रोद्यो गकी में डप्लोमा; ii) कसी वस्त्र संस्थान या हथकरघा उत्पादन इकाई में अनुदेशक के रूप में चार वर्षीय अनुभव
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ बारगढ़(ओ डशा), सलेम(त मलनाडु), जोधपुर(राजस्थान), वाराणसी(उत्तर प्रदेश), शांतिपुर/फु लया(पश्चिम बंगाल)
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	हथकरघा एवं वस्त्र प्रौद्यो गकी डप्लोमा पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक वषयों का संचालन करना जिसमें कंप्यूटर (संगणक) सहायता प्राप्त डजाइनिंग सम्म लत है| टेक्निकल सेवाएं प्र शक्षण कार्यक्रम सहित और बाहरी संस्थाओ द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट कार्य | छात्रों को उनके प्रोजेक्ट कार्य में मार्गदर्शन और हथकरघा बुनाई और वस्त्र परीक्षण अनुभाग का पर्यवेक्षण
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य	ये पद केवल ओएच(ओए या ओएल) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।

	दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	
(vi)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10616	
	(क) पद का नाम	वरिष्ठ अनुदेशक (बुनाई)
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', तकनीकी,अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	02(02-अना)
	(घ) विभाग	भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान , वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, आईटीआई कैम्पस , फु लया कॉलोनी, नदिया, पन कोड-741402
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ , ग्रेड वेतन- 4200/ (पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	i) कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय या संस्थान से प्रौद्यो गकी या वस्त्र इंजीनियारी में डग्री; ii) कसी वस्त्र संस्थान या कसी हथकरघा उत्पादन यूनिट में हथकरघा या वस्त्र बुनाई में अनुदेशक के रुप में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; या i) कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय या संस्थान से वस्त्र प्रौद्यो गकी में तीन वर्षीय में डप्लोमा या हथकरघा प्रौद्यो गकी में डप्लोमा या हथकरघा और वस्त्र प्रौद्यो गकी में डप्लोमा; ii) कसी वस्त्र संस्थान या हथकरघा उत्पादन इकाई में अनुदेशक के रुप में चार वर्षीय अनुभव
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य

	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ फु लया(पश्चिम बंगाल)
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	हथकरघा एवं वस्त्र प्रोद्यौ गकी डप्लोमा पाठ्यक्रम के लए सद्धांत और अभ्यास कक्षा का संचालन, कम्प्यूटर एडेड डजाइनिंग समेत, बुनाई परीक्षण, परियोजना, प्र शक्षण कार्यक्रम समेत तकनीकी सेवाएं देना एवं हथकरघा बुनाई तथा वस्त्र परीक्षण अनुभाग का समीक्षा करना हैं 1
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद पीएच(पीडबल्यूडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(vii)	पद प्रवर्ग सं. :ईआर-10716	
	(क) पद का नाम	प्रयोगशाला सहायक
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', गैर-तकनीकी, अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	01 (01-अ पव)
	(घ) विभाग	राष्ट्रीय जै वक खेती केन्द्र ,कृ ष एवं कसान कल्याण मंत्रालय, कृ ष और सहकारिता वभाग, गाज़ियाबाद
	(ङ) आयु	18-25 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	5200/- -20200/-, ग्रेड वेतन- 1900/-(पीबी-1) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(क) कसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या वश्व वद्यालय से इंटरमी डएट या 12वीं वज्ञान या कृ ष वज्ञान सहित उत्तीर्ण । (ख) कसी ख्यातिप्राप्त प्रयोगशाला में प्रयोगशाला कार्य में तीन वर्ष का अनुभव ।

	(ज) वांछनीय योग्यता	रसायन या जीव वज्ञान या कृ ष वज्ञान में डग्री या कृ ष वज्ञान में डप्लोमा ।
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ भूबनेश्वर।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	प्रयोगशाला में जैव उर्वरक, जै वक खाद, वर्मी कल्चर व व भन्न जै वक नि वष्ट का गुणवत्ता परीक्षण; प्राथ मक नमूना तैयारी के माध्यम से जै वक खेती से जुड़े प्रभावी सूक्ष्मजीवों के व भन्न स्ट्रेनों का पृथक्करण एवं सत्यापन; उपस्कर अनुरक्षण तथा रखरखाव और व भन्न व लयन एवं तनुता तैयार करना । कार्यालय में जै वक खेती इत्यादि संबंधी तकनीकी साहित्य को तैयार करने, इसके मुद्रण, जिल्दसाज़ी में सहायता करना ।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद केवल ओएच(ओए और ओएल) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
viii	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10816	
	(क) पद का नाम	प्रयोगशाला सहायक
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', गैर-तकनीकी, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	18 [(11-अना जिसमे से 03 रिक्तियाँ ओएच और 03 रिक्तियाँ एचएच उम्मीदवारों के लए आर क्षत है), 04-अ पव, 03-अ.ज]।
	(घ) विभाग	भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एम ब्लॉक , न्यू अलीपुर , कोलकाता**700053-**
	(ङ) आयु	18-27 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार लागू है।)

	(च) वेतनमान	5200/- 20200/ , ग्रेड वेतन-2000/(पीबी-01) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	कसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या वश्व वद्यालय से एक वषय के रूप में जीव वज्ञान सहित उच्च माध्य मक (10+2 वर्षीय पाठ्यक्रम) या समतुल्य । <u>टिप्पणी</u>:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्रा धकारी के ववेकानुसार अनुसू चत जातियों और अनुसू चत जनजातियों के अभ्य र्थयों की दशा में तब श थल की जा सकती है जब चयन के कसी प्रक्रम पर सक्षम प्रा धकारी की यह राय है क उसके लए आर क्षत रिक्तयों को भरने के लए अपे क्षत अनुभव रखनेवाले उन समुदाय के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।
	(ज) वांछनीय योग्यता	(i) प्रा ण वज्ञान प्रयोगशाला में उपस्कर की उठाई-धराई और अनुसरण से परि चत हो । (ii) प्रा ण वज्ञान संबंधी स्थिरीकरण और अ भरंजन (स्टेन) तैयार करने का ज्ञान। (iii) हिन्दी पढ़ने और लखने की योग्यता ।
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	1. प्रयोगशालाओं और उपस्करों (साज-सामानों) का उ चत रख-रखाव । 2. अनुभागीय कार्य हेतु आवश्यक सामग्री की तैयारी। 3. प्रयोगशाला उपस्करों का उ चत अनुरक्षण। 4. अनुभागीय कार्य हेतु आवश्यक सामग्री की तैयारी। 5. प्रयोगशाला की सफाई का अनुरक्षण। 6. सौंपे गए अन्य कोई कार्य ।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद केवल ओएच (ओए और ओएल) और एचएच(पीडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त है।

(ix)	पद प्रवर्ग सं. :ईआर-10916	
	(क) पद का नाम	फील्ड परिचर (बहुकृत्यों सहित)
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', गैर-तकनीकी, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	19[13- अना(जिसमे 03 रिक्तियाँ ओएच और 03 रिक्तियाँ एचएच उम्मीदवारों के लए आर क्षत है) **,04-** अ पव, 01-अ.जा, 01-अ.ज.जा]
	(घ) विभाग	<u>भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एम ब्लॉक, न्यू अलीपुर, कोलकाता- **700053**</u>
	(ङ) आयु	18-27 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)(6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(च) वेतनमान	5200/- - 20200/- ग्रेड वेतन-1800/-(पीबी-1)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से वज्ञान वषय सहित मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य।
	(ज) वांछनीय योग्यता	हिन्दी पढ़ने और लखने की योग्यता या कीटों का बाड़ा बनाने या उनके व्यवस्थापन का अनुभव या क्षेत्र में कीटों के संग्रहण और परिरक्षण की जानकारी या चर्म प्रसाधन की तकनीक की जानकारी या कसी प्राण वज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में चर्म प्रसाधन कार्य का पूर्व अनुभव या अ धकारियों और कर्मचारियों के साथ फील्ड ड्यूटी करने की योग्यता या मछली पालन का ज्ञान और मत्स्य खाद्य के संग्रहण का अनुभव।
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता, दीघा, कैनिंग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	(i) प्रयोगशालाओं, मछलीघर(समुद्री जलजीवशाला), संग्रहालयों और गैलरियों के साथ ही संग्रह और उपकरणों की सफाई। (ii) मछली रखने एवं मछली प्रद र्शत करने और मछली भोजन(मत्स्य खाद्य) का संग्रहण । (iii) कीटों का बाड़ा बनाने या उनके व्यवस्थापन। (iv) फील्ड एवं अनुभाग में संग्रहों का परिरक्षण और अनुरक्षण। (v) कंकालों पर चमड़ा लगाना, व्या धशमन और मरम्मत ।

		(vi) चमड़ों का शोधन, व्या धशमन और मरम्मत। (vii) चयन में कर्मचारियों की सहायता। (viii) आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण दलों की सहायता करना। (ix) सौंपे गए कोई अन्य कार्य।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद केवल ओएच(ओएल) और एचएच(पीडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(x)	पद प्रवर्ग सं. :ईआर-110016	
	(क) पद का नाम	कार्यालय परिचर (बहू कार्य कर्मचारीवृन्द)
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', गैर-तकनीकी, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	40[14-अना(जिसमे 03 रिक्तियाँ ओएच और 02 रिक्तियाँ एचएच और 01 रिक्ति वीएच उम्मीदवार के लए आर क्षत है),**20-**अ पव, 02- अ.जा, **04-**अ.ज.जा](जिसमे 04 रिक्तियाँ भूपूसै के लए आर क्षत है)
	(घ) विभाग	भारतीय वैन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एम ब्लॉक, न्यू अलीपुर, कोलकाता- **700053**
	(ङ) आयु	18-27 वर्ष(आयु छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	5200/-20200/-, ग्रेड वेतन-1800/-(पीबी-01) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य पास ।

	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता, कैनिंग, दीघा, पोर्ट ब्लेयर।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	(i) नामपट्टियाँ लेखन, अक्षर लेखन एवं अंकन कार्य। (ii) प्लेट निक्षारण आदि । (iii) आव धक पुस्तिकाओं, रजिस्टरों, फाइलों आदि को बाँधना एवं मरम्मत करना । (iv) बाँधने हेतु पुस्तकों आदि को छाँटने में मदद करना । (v) पुस्तकालय पुस्तकों, आव धकों आदि का धूल झाड़ना और सफाई करना । (vi) पुस्तकालय में पढ़नेवालों की सहायता करना । (vii) फाइलों की सलाई और बाँधने का कार्य । (viii) कार्यालय प्रयोगशाला, मेज, कु र्सयों, उपस्करों आदि की सफाई और धूल झाड़ने का कार्य । (ix) फाइलों, रिकार्डों, पत्रों इत्यादि तथा कँलेक्शन जारों को एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में लाने- ले जाने का कार्य। (x) सर्वेक्षण दौरों पर अ धकारियों और कर्मचारियों का साथ देना । (xi) भवन की सुरक्षा मापदंडों की देख-भाल करना । (xii) सौंपे गए अन्य कोई कार्य ।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त	ये पद केवल ओएच(ओएल, ओए, ओएलए), एचएच(पीडी) और वीएच(एलवी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।

	पाया गया है ।)	
(xi)	पद प्रवर्ग सं. : ईआर-11116	
	(क) पद का नाम	व्यवसाय च कत्सक
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुस चवीय, तकनीकी
	(ग) रिक्ति	01 (01 - अना)
	(घ) विभाग	च कत्सा सेवा महानिदेशालय (सेना), रक्षा मंत्रालय
	(ङ) आयु	18- 30 वर्ष(आयु छूट निर्देशानुसार मान्य हई।)
	(च) वेतनमान	9300/- 34800/- , ग्रेड वेतन-4200/-(6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	i) कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय या संस्था से व्यावसायिक च कत्सा वज्ञान में डग्री ii) कसी अस्पताल या च कत्सा संस्था में व्यावसायिक च कत्सा वज्ञान में दो वर्ष का अनुभव नोट 1: अर्हताए अन्यथा सुअर्हित अभ्य थर्यों की दशा में उसके लए जो कारण है , उन्हे लेखबद्ध करके , चयन आयोग के ववेकसनुसार श थल की जा सकती है। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हताए उसके लए जो कारण है, उन्हे लेखबद्ध करके, कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार अनुसू चत जातियों या अनुसू चत जन जातियों के अभ्य थर्यों के दशा में तब श थल की जा सकती हई जब चयन आयोग की यह राय हई क उनके लए अपे क्षत अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्य थर्यों के पर्याप्त में उपलब्ध होनेकी संभावना नहीं हई।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता।

	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	(क) वह म लट्री अस्पतालों के व्यावसायिक वभाग में च कत्सक जे रूप में बाह्य एवं आंतरिक मरीजो की सहायता के लए जिम्मेदार होगा। (ख) वह म लट्री अस्पतालों के व्यावसायिक वभाग के रखरखाव में सहायता तथा अनुशासन स्तर बनाए रखने में मदद करेगा। (ग) वह म लट्री अस्पतालों के व्यावसायिक वभाग वभाग से संबन्धित दस्तावेज़ों के रखरखाव के लए जिम्मेदार होगा। मरीजो से संबन्धित अनुशासन एवं उच्च व्यवसायिक स्तर बनाए रखना भी उसी की ज़िम्मेदारी होगी। (घ) वह म लट्री अस्पतालों के पोटा के सदस्यों को वभागीय सहायता एवं प्र शक्षण प्रदान करेगा। (ङ) वह म लट्री अस्पतालों की नीतियों के बनाने में , नीतियों को सूचरु रूप से संचा लत करने में सहायता प्रदान करेगा। वह पुनर्वास वभाग/ हड्डी वभाग/ शशु वभाग एवं अन्य संबन्धित वभाग में सहायता प्रदान करेगा। (च) वह समय समय पर वभाग द्वारा रो गयों की सु वधा एवं सहायता हेतु अन्य कार्य जो रो गयों से संबन्धित हो, में सहायता प्रदान करेगा।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद केवल ओएच (बीएल,ओएल,ओए, और ओएलए) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(xii)	पद प्रवर्ग सं. : ईआर-**11216**	
	(क) पद का नाम	वाणी उपचारक
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुस चवीय

	(ग) रिक्ति	01 (01 - अना)
	(घ) विभाग	च कत्सा सेवा महानिदेशालय (सेना), रक्षा मंत्रालय
	(ङ) आयु	18- 30 वर्ष(आयु छूट निर्देशानुसार मान्य हई।)
	(च) वेतनमान	9300/- 34800/- , ग्रेड वेतन-4200/-(6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	**(i)** मान्यताप्राप्त केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से 10+2 की परीक्षा पास की हो **(ii)** कसी मान्यताप्राप्त संस्थान से स्पीच थेरपी में डप्लोमा कया हो। **(iii)** कसी मे डकल कॉलेज या यूनिव र्सटी या क्लीनिक में स्पीच संबंधी खराबियों को ठीक करने का दो वर्ष का अनुभव हो या (i) औ डओलोजी और स्पीच लैङ्ग्वेज पथोलोजी में कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय से स्नातक डग्री (ii) कसी मे डकल कॉलेज उआ यूनिव र्सटी या क्लीनिक में स्पीच संबंधी खराबियों को इलाज करने का कसी मान्यताप्राप्त संस्थान का एक वर्ष का अनुभव नीट 1: कर्मचारी चयन आयोग कसी भी अभ्यर्थी को अपने ववेक पर उसके द्वारा ल खत में कारण दिये जाने पर अर्हता में छूट दे सकता है यदि वह अन्य सभी प्रकार से उ चत अर्हता रखता है। नोट 2: अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजातियों के मामले में चयन के कसी भी चरण पर ल खत में दिये गए कारणों के लए कर्मचारी चायन आयोग के ववेक पर उन्हें अनुभव संबन्धित अर्हता (अर्हताओं) में छूट प्राप्त हो सकती है। कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है क इन समुदायों से अनुभव वाले इतने अभ्य र्थयों के मलने क संभावना नहीं है जिनसे उनके लए आर क्षत रिक्तियां भरी जा सकें।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य

	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	(क) वह म लट्री अस्पतालों के ईएनटी वभाग में स्पीच थेर पस्ट सेंटर का इंचार्ज होगा। अनुशासन व उच्च व्यावसायिक स्तर बनाए रखना भी उसकी ज़िम्मेदारी होगी। (ख) वह ईएनटी वभाग में आने वाले मरीजो क सुनने और बोलने से संबन्धित बीमारियों की क्लिनिकल व ओ डयोलोजीकल तकनिकों से पहचान करने व उनके निदान में ईएनटी वशेषज्ञ के मदद करेगा। (ग) वह सुनने और बोलने से जुड़ी व भन्न बीमारियों से पी ड़त अरीजो को स्पीच और औ डटरी प्र शक्षण के साथ साथ उनके पूर्ण स्वस्थ्य लाभ के लए ज़िम्मेवार होगा। (घ) वह स्पीच थेरपी सेंटर में आने वाले सभी मरीजो के लए आने की प्र क्रया और दस्तावेज़ तैयार करने के लए ज़िम्मेवार होगा। (ङ) वाणी व बहरेपन से जुड़ी सभी अनुसंधान परियोजनाओं में ईएमटी वशेषज्ञ की मदद करेगा। (च) वह स्पीच थेरपी सेंटर में सभी उपकरणो को अपने चार्ज में रखेगा और उनके ऑपरेशन , रख रखाव व मरम्मत के लए ज़िम्मेवार होगा।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद केवल ओएच (बीएल, ओएल, ओए औरओएलए) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(xiii)	पद प्रवर्ग सं.:ईआर-11316	

	(क) पद का नाम	कनिष्ठ अ भयंता (क्वा लटी आश्वासन)
	शास्त्र	शस्त्रीकरण
	उप-शास्त्र	युद्ध सामग्री
	(ख) वर्गीकरण	समूह 'ख' अराजपत्रित , अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	40(21- अना, 10-अ पव, 06-अजा, 03- अ.ज.जा)(01 रिक्ति ओएच के लए आर क्षत है)
	(घ) विभाग	क्वा लटी आश्वासन महानिदेशालय,रक्षा उत्पादन वभाग, रक्षा मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ , ग्रेड वेतन-4200/ (पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से वज्ञान में स्नातक जिसमें भौतिकी वषय हो। या राज्य के तकनीकी शक्षा बोर्ड से या कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डप्लोमा। (ii) मान्यता प्राप्त संगठन या उपक्रम से उत्पादन या वकास या गुणता आश्वासन में संबं धत कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दयितयव के साथ अंबाझरी(एमएस), चंदा(एमएस), चेन्नई(टीएन), काशीपुर(डबल्यूबी), इटा र्स(एमपी), कानपुर(उप), खमरिया(एमपी), करकी-पुणे(एमएस), वारंगोन(एमएस)
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	1. स्टोर की क्यूए कवरेज से पहले तथा एचओएस में रिपोर्ट जाने से पहले इनपुट मैटीरियल के दस्तावेजों का सत्यापन। 2. एचओएस के साथ परामर्श में शॉप फ्लोर पर क्यूए तथा निगरानी गति व धयों के लए आईई का वस्तार करना। 3. शॉप फ्लोर पर क्यूए तथा निगरानी तथा निरीक्षण तथा अंतिम स्वीकृति निरीक्षण गति व धयों की जिम्मेदारी, उसी की निरीक्षण रिपोर्ट बनाना तथा एचओएस को देना।

		4. आरेखण तथा वनिर्देशन/परीक्षण सारणी को एएचएसपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार अद्यतन करना। 5. डेटा संक लत करना तथा रिपोर्ट एवं रिटर्न तैयार करना। 6. एनक्यूडीबीएमएस के डेटा को अद्यतन करना। 7. गुआमनि मूल्यांकन परीक्षण, जाँच तथा स्थापना को दी गई अन्य वकास योजना से संपर्क रखना। 8. त्रुटि जाँच को निपटाना। 9. सभी उपकरणों/उपस्करों तथा गॉजेस के कै लब्रेशन आँकड़ों को अद्यतन करना जिनकी शॉप फ्लोर पर जरूरत है। 10. गुणता मुद्दों से संबं धत ऑ र्डनेंस फैक्ट्री के क्यूसी सेक्शन के एचओएस से संपर्क करना। 11. फाइल में पत्र लगाना तथा जवाब का ड्राफ्ट बनाना जिसके पूर्ण होने पर संबं धत एजें सयों को भेजना। 12. प्रशासन ड वजन द्वारा ना मत व भन्न बोर्ड्स में सदस्य की तरह प्रतिनि धत्व करना। 13. यह सुनिश्चित करना क समीक्षा पर तथा शस्त्र/गोलाबारूद की सुरक्षा तथा निरीक्षण के अंदर अन्य भंडारों पर आदेशों का सख्ती से पालन कया गया है। 14. एएचएसपी के कार्य जैसे क गुणता आशावासन, प्रूफ तथा निर्माता तथा क्यूए ग्रुप का मार्गदर्शन करने के लए आवश्यक स्वीकृत मानक को निपटाना। 15. प्रूफ सारणी/वनिर्देशन/प्रारूप आदि को संशो धत/तैयार करना। 16. आरएफपी पर पुनरीक्षण, करार पर टिप्पणी तथा एक्स इम्पोर्ट भंडार के गुआमनि के तकनीकी मूल्यांकन के लए जाँच निदेश तैयार करना। 17. आरेखण पर मुद्रांकण, क्यूएआई तैयार करना, एएमआई, इंडेंस/एसओ तथा अन्य अस्थायी दस्तावेजों का पुनरीक्षण।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से	ये पद केवल ओएच(ओए, ओएल) एयूआर एचएच(डी, पीडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।

	दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	
(xiv)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-11416	
	(क) पद का नाम	कनिष्ठ अ भयंता(क्वा लटी आश्वासन)
	शास्त्र	शस्त्रीकरण
	उप-शास्त्र	अस्त्र शस्त्र
	(ख) वर्गीकरण	समूह 'ख' अराजपत्रित , अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	14 (08-अना, 04-अ पव, 01-अजा, 01- अ.ज.जा)(01 रिक्ति एचएच के लए आर क्षत है)
	(घ) विभाग	क्वा लटी आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन वभाग, रक्षा मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ , ग्रेड वेतन-4200/ (पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से वज्ञान में स्नातक जिसमें भौतिकी मुख्य/एलाइड वषय हो। या राज्य के तकनीकी शक्षा बोर्ड से या कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/ मशीन और टूल टेक्नोलॉजी में डप्लोमा। (ii) मान्यता प्राप्त संगठन या उपक्रम से उत्पादन या वकास या गुणता आश्वासन में संबं धत कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ अंबरनाथ(एमएस), काशीपुर(डबल्यूबी),जबलपुर(एमपी),खमरिया (एमपी),कानपुर(यूपी)

	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	जेई (क्यूए) मध्यम स्तर के प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। ये अपने तत्का लक वरिष्ठ अ धकारी के लए जिम्मेदार है। उच्चतर प्रबंधन इस कैडर द्वारा दिए गए इनपुट्स के आधार पर फैसला लेता है। नीचे दे गए कार्यकलापों के लए जेई (क्यूए) जिम्मेदार है- 1. कई एजें सयों के साथ तकनीकी पत्राचार प्रारंभ करना। 2. अवर स्टॉफ का पॉ लसी की प्र क्रयाओं के बारे में मार्गदर्शन करना। 3. शस्त्र भण्डार से संबं धत कार्य का कार्यान्वयन करना। 4. शस्त्र भण्डार से संबं धत शॉप तल स्तर की गति वयों की निगरानी करना। 5. उच्चतर प्रबंधन को फैसला लेने के लए सभी जरूरी सूचना देना। 6. अपे क्षत स्तर की पॉ लसी एवं प्र क्रयाओं का कार्यान्वयन करना। उपरोक्त कार्यों को सावधानीपूर्वक करने के लए जेई में नीचे दिए गए गुण होने चाहिए। (क) कंप्यूटर साक्षरता। (ख) मूलभूत तकनीकी ज्ञान होना। (ग) अंग्रेजी भाषा पर पकड़ तथा वचारों में स्पष्टता। <u>कर्तव्यों की प्रकृति</u> - 1. पर्यवेक्षण कार्य। 2. वीपन ड सप्लिन से संबं धत सभी तकनीकी पत्राचार प्रारंभ करना। 3. एएचएसपी वीपन से संबं धत सभी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन को प्रारंभ करना। 4. रिपोर्ट तथा रिटर्न तैयार कर उच्चतर माध्यम तक पहुँचाना। 5. त्रुटि जांच तथा अन्य परीक्षणों में सहायता करना। 6. वीपन ड सप्लिन की सभी एएचएसपी कार्य-कलापों को कार्यान्वित करने में उच्चतर माध्यम को सभी तरह से सहायता करना। 7. व भन्न एसक्यूएई से प्राप्त डेटा का अवलोकन करना तथा गुणता में सुधार हेतु बहुमूल्य सुझाव देना। 8. व भन्न प्रशासनिक कर्तव्य वहन करना। <u>एसक्यूएई में</u>

		1. सभी तकनीकी पत्राचार प्रारंभ करना। 2. शॉप फ्लोर लेवल पर क्यूए कार्य-कलापों से संबंधित सभी पॉलिसी तथा गतिविधियों का कार्यान्वयन करना। 3. उत्पाद की गुणवत्ता सुधार हेतु बहुमूल्य सुझाव देना। 4. लोअर लेवल स्टॉफ का मार्गदर्शन करना जैसे कि, कई स्तरों पर क्यूए कार्य-कलापों में आई.ई. परीक्षक, कंट्रोल प्वॉइन्टस, रेन्ज आदि में सहायता करना। <u>स्थापना जहाँ कार्यशाला है</u> 1. कार्मिकों को टास्क देना। 2. कच्चे माल, इन्वेन्टरी, टूल, गॉजेस आदि का रख-रखाव करना। शॉप फ्लोर पर गतिविधियों की निगरानी तथा निरीक्षण करना। 3. कार्य आदेशों, एसडब्ल्यूओडी तथा अन्य माँगों से संबंधित पत्राचार करना।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद केवल ओएच(ओए, ओएल) और एचएच(डी, पीडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पाया गया है।
(xv)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-11516	
	(क) पद का नाम	कनिष्ठ अभियंता(क्वालिटी आश्वासन)
	शास्त्र	शस्त्रीकरण
	उप शास्त्र	साधन

	(ख) वर्गीकरण	समूह 'ख' अराजपत्रित , अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	07(04-अना, 01-अ पव, 01-अजा, 01- अ.ज.जा)
	(घ) विभाग	क्वा लटी आश्वासन महानिदेशालय,रक्षा उत्पादन वभाग, रक्षा मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ , ग्रेड वेतन-4200/ (पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से वज्ञान में स्नातक जिसमें भौतिकी/रसायन वज्ञान(इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्युटर वज्ञान) में स्नातक। या राज्य के तकनीकी शक्षा बोर्ड /मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से मैकेनिकल/ इलैक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन/ इन्स्ट्रूमैनटेशन/ आईटी इंजीनियरिंग में डप्लोमा। (ii) संगत क्षेत्र में मान्यता प्राप्त संगठन या उपक्रम से उत्पादन या वकास या गुणता आश्वासन में एक वर्ष का अनुभव।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ देहारादून(यूके), मेडक(तेलेंगना)।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	जेई (क्यूए) एक तकनीकी पद है, जिसके तहत एनजीओ को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर द्वारा वनि र्मत एवं प्रयोक्ता को निर्गत गति व धयों के संबंध में व भन्न तकनीकी जिम्मेवारियाँ निष्पादित करनी होती हैं। जैसे - 1. सभी प्रकार के तकनीकी पत्राचार को प्राप्त करना, फाइल करना, डॉकेटिंग करना। फाइल को खोलना, अनुरक्षण करना, मामले से संबं धत एवं तकनीकी दस्तावेजों का उपयुक्त रख-रखाव करना। 2. तकनीकी पत्राचार को छाँटना और जिस पर कार्रवाई अपे क्षत है, उसकी सूची तैयार करना। 3. निर्धारित समय में जवाब का मसौदा तैयार करना। 4. रिपोर्टों के लए निय मत रूप से अद्यतन सूचनाओं एवं आँकड़ों को संग्रहित करना। 5. पुरानी एवं नई फाइलों का अध्ययन और मामलों के संबंध में

		पूर्ण जानकारी प्राप्त करना। 6. मसौदा वनिर्देशन तैयार करना, 7. ववाचन/बोर्डों में सीक्यूए का प्रतिनि धत्व करना। 8. गुणता आश्वासन निरीक्षण में एचओएस की सहायता करना। 9. तकनीकी ज्ञान की नवीनतम जानकारी रखने के लए तकनीकी पुस्तकों का अध्ययन करना, मानदंडों एवं दस्तावेजों को तैयार करना। 10. भारतीय एवं अन्य मानदंडों के लए माँग तैयार करना। 11. गुणता आश्वासन एवं व भन्न गति व धयों में एसीक्यूए की सहायता करना। एसी/डीसी/नियंत्रक द्वारा समय-समय पर सौंपी गई अन्य जिम्मेवारियों को निष्पादित करना। 12. जब अपे क्षत हो तो व्यापक स्तर पर उत्पादन के गुणता आश्वासन को सुनिश्चित करना। 13. दस्तावेजों का निरीक्षण करना (माँग आदि/असाइनमेंट लस्ट)
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद केवल ओएच(ओए, ओएल) और एचएच(डी, पीडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(xvi)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-11616	
	(क) पद का नाम	कनिष्ठ अ भयंता(क्वा लटी आश्वासन)
	शास्त्र	शस्त्रीकरण
	उप-शास्त्र	छोटे शस्त्र

	(ख) वर्गीकरण	समूह 'ख' अराजपत्रित , अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	24(13-अना, 09-अ पव, 02- अ.ज.जा)
	(घ) विभाग	क्वा लटी आश्वासन महानिदेशालय,रक्षा उत्पादन वभाग, रक्षा मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ , ग्रेड वेतन-4200/ (पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से वज्ञान सहित भौतिक/रसायन वज्ञान में स्नातक। या राज्य के तकनीकी शक्षा बोर्ड से या कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डप्लोमा । (ii) मान्यता प्राप्त संगठन या उपक्रम से उत्पादन या वकास या गुणता आश्वासन में संबं धत कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ इच्छापुर(डबल्यूबी), कानपुर(यूपी) और त्रिची(टीएन)
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	1. तकनीकी मामलों से संबं धत आँकड़े एकत्रित करना एवं प्रारूप तैयार करना। 2. आयुध निर्मा णयों में गुणता आश्वासन एवं निगरानी संबंधी गति व धयों की टीम के सदस्य के रूप में मार्गदर्शन करना तथा ऑ डट/गुणता ऑ डट भी करना। 3. उत्पादन क्षेत्र में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना। 4. रिपोर्ट्स/रिटर्न्स की जाँच, संग्रहण करना तथा उन्हें तैयार करना। 5. टीम के सदस्य के रूप में जेआरआई चैक प्रूफ करना। 6. टीम के सदस्य के रूप में निर्यात संबंधी शस्त्रों का निरीक्षण करना। 7. व भन्न एक्स आयुध निर्मा णयों के जाँच प्रूफ एकत्रित करना तथा प्रूफ परिणामों के आधार पर शस्त्रों के निर्धारण पर निर्णय लेना। 8. टीम के सदस्य के रूप में व भन्न तकनीकी परिक्षणों का हिस्सा बनना।

		9. कार्यालय में सुचारू से कार्य निष्पादन हेतु वभागीय अ धकारियों/प्रभारी अ धकारी की मदद करना। 10. बोर्ड की सभी कार्रवाइयों में अध्यक्ष की मदद करना। 11. बोर्ड कार्रवाइयों के अ ग्रम सेम्पलों की जाँच करना, सी ई शस्त्र तैयार करना तथा उच्च अ धकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना। 12. प्रूफ जाँच के पश्चात् प्रूफ परिणाम तैयार करना एवं एक्स आयुध निर्मा णयों में शस्त्रों के निर्धारण पर निर्णय तथा यंत्र के प्रूफ का गवाह बनाना।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद केवल ओएच(ओए, ओएल) और एचएच(डी, पीडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(xvii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-11716	
	(क) पद का नाम	कनिष्ठ अ भयंता(क्वा लटी आश्वासन)
	शास्त्र	धातु वज्ञान और म लट्री वस्फोटक
	उप-शास्त्र	धातु वज्ञान
	(ख) वर्गीकरण	समूह 'ख' अराजपत्रित , अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	20(10-अना, 05-अ पव, 03- अ.जा, 02- अ.ज.जा) (01 रिक्ति एचएच के लए आर क्षत है)
	(घ) विभाग	क्वा लटी आश्वासन महानिदेशालय,रक्षा उत्पादन वभाग, रक्षा मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ , ग्रेड वेतन-4200/ (पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)

	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) वज्ञान में स्नातक व स्नातक स्तर पर वज्ञान सहित भौतिक, रसायन वज्ञान या मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय या राज्य तकनीकी शक्षा बोर्ड से मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डप्लोमा। (ii) मान्यता प्राप्त संगठन या उपक्रम से गुणता आश्वासन/उत्पादन/वकास/प्रयोगशाला के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ मेडक(तेलंगाना), दिल्ली, अंबाझरी(एमएस),कटनी(एमपी),राउरकेला(ओ डशा),त्रिची(टीएन), मुरादनगर(यूपी),कानपुर(यूपी),इच्छापुर(डबल्यूबी),कोलकाता(डबल्यूबी)
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	1. सेम्पलों का उपयुक्त पंजीकरण। रिकॉर्ड के रखरखाव से संबं धत गति व धयों में जेटीओ की सहायता करना। 2. सेम्पल का परीक्षण करना और निर्धारित समय में इसे तैयार करना। 3. आँकड़ा शीट तैयार करना/वरिष्ठ का र्मकों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपस्कर का संचालन करना। 4. प्रयोगशाला एवं कार्यशाला में उपस्करों/मशीनों का रख-रखाव करना।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद केवल ओएच(ओए, ओएल) और एचएच(डी, पीडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(xviii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-11816	
	(क) पद का नाम	कनिष्ठ भौगो लक सहायक

	(ख) वर्गीकरण	समूह 'ग' गैर तकनीकी , अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	02(02-अ पव)
	(घ) विभाग	राष्ट्रीय एटलस एवं थमैटिक मान चत्रण संगठन, वज्ञान और प्रौद्यो गकी मंत्रालय, कोलकाता
	(ङ) आयु	18-25 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	5200/- -20200/- , ग्रेड वेतन- 2800/-(पीबी-01) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय से भूगोल/सांख्यिकी/ग णत में ऑनर्स की डग्री।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	(क) सदृश (ऐनालॉग) एवं डजिटल श्रोतों से स्थानिक आंकड़ा संग्रह करना। (ख) मान चत्र उत्पादन हेतु स्थानिक एवं लाक्ष णक आंकणों का वश्लेषण। (ग) जी.आई.एस., सुदूर संवेदन, मान चत्रण एवं अन्य योजनाओं का निष्पादन। (घ) सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन एवं वश्लेषण। (ङ) क्षेत्रकार्य एवं ग्लोबल पोजिशनिंग सस्टम (जी.पी.एस.) सर्वेक्षण में सहयोग देना। (च) अन्य नियत कार्यों को पूरा करना।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद केवल ओएच(ओएल) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।

(xix)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-11916	
	(क) पद का नाम	अनुसंधान सहायक
	(ख) वर्गीकरण	समूह 'ख' गैर तकनीकी , अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	05(03-अना, 01-अ पव, 01- अ.जा)
	(घ) विभाग	राष्ट्रीय एटलस एवं थमैटिक मान चत्रण संगठन, वज्ञान और प्रौद्यो गकी मंत्रालय, कोलकाता
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशसानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ ग्रेड वेतन-4200/ (पीबी-02) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय से भूगोल अथवा भू वज्ञान में स्नातकोत्तर की उपा ध या समतुल्य। <u>टिप्पण 1-</u> अन्य रुप से सुयोग्य उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग के ववेका धकार पर अर्हताओं में छट दी जा सकती है। <u>टिप्पण 2-</u> यदि चयन के कसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है क अनुसू चत जातियों और अनुसू चत जनजातियों के समुदाय से उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरने के लए आयोजित अनुभववाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के ववेका धकार पर ऐसे उम्मीदवारों के अनुभव से संबं धत अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।
	(ज) वांछनीय योग्यता	कसी अनुसंधान/ शक्षण/वैज्ञानिक अथवा सरकारी मान चत्रण संगठन में कार्य करने का अनुभव।
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	(क) व भन्न योजनाओं पर जी.आई.एस. डेटाबेस को तैयार करने में अनुसंधान अ धकारी एवं वैज्ञानिक अ धकारी को सहयोग देना। (ख) संगठन में भू-स्थानिक तकनीक का कार्यान्वयन। (ग) सदृश एवं डजीटल श्रोतों से स्थानिक आंकड़ा संग्रह करना।

		(घ) कनिष्ठ कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करना। (ङ) जी.आई.एस., मान चत्रण, सुदूर संवेदन एवं संबं धत क्षेत्रों में हो रहे आधुनिक वकास पर नजर रखना एवं इन क्षेत्रों में वशेष ज्ञान को वक सत करना। (च) नियत कार्य के रूप में ऑनलाईन सेवा में सहयोग देना एवं वेब डेटा का वकास करना। (छ) अन्य नियत कार्यों को पूरा करना।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद ओएच(ओए, ओएल) और एचएच(पीडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(xx)	पद प्रवर्ग सं. : ईआर-**12016**	
	(क) पद का नाम	कनिष्ठ रसायनज्ञ
	(ख) वर्गीकरण	समूह 'ग' गैर तकनीकी, अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	05(03-अना, 02-अ पव)
	(घ) विभाग	वपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृ ष एवं कसान कल्याण मंत्रालय, कृ ष, सहकारिता एवं कसान कल्याण वभाग, नागपुर
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	5200/- - 20200/- ग्रेड वेतन-2800/-(पीबी-01) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से रसायन शास्त्र या डेयरी रसायन शास्त्र या तेल प्रौद्यो गकी या खाद्य प्रौद्यो गकी में मास्टर डग्री या समतुल्य या

		(ii). कसी मान्यता प्राप्त वश्व.वद्यालय से बॅचलर ऑफ साइंस की डग्री रसायन शास्त्र एक वषय के साथ या रसायन शास्त्र में बॅचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स) या समकक्ष और वश्लेषणात्क कार्य में दो वर्ष का अनुभव
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	(i) एगमार्क के अधीन प्रमा णत कृ ष वस्तुओं वश्लेषण । (ii) प्रयोगशाला उपकरणों तथा कांच के बर्तनों का आंतरिक अंशाकन। (iii) एगमार्क श्रेणीकृत वस्तुओं के नमूने को चुनने के साथ साथ बाजार से वश्लेषण के लए नमूने जमा करना इत्यादि ।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद शारीरिक रूप से वकलांग व्यक्तियों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(xxi)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-12216	
	(क) पद का नाम	उप रेंजर
	(ख) वर्गीकरण	समूह "ग" गैर- तकनीकी, अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	02 (01- अ पव, 01- अ.ज.जा)
	(घ) विभाग	भारतीय वन सर्वेक्षण, पूर्वी अंचल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन एवं वन्य जीव वभाग, कोलकाता।

	(ङ) आयु	18-27वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	5200/-20200/ ग्रेड वेतन-2400/(पीबी-01) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) कसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या वश्व वधालय से बारहवीं कक्षा या समतुल्य ; (ii) वन सर्वेक्षण या कार्य योजना संगठन या राज्य वन वभाग में वन संसाधन सर्वेक्षण कार्य में दो वर्ष का अनुभव ।
	(ज) वांछनीय योग्यता	वन सर्वेक्षण या मान चत्र के कार्य में या कार्यकरण योजना संबंधी कार्य में अनुभव ।
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	जी. पी. एस. प्रचालन तथा अन्य प्रचालन यंत्रों की कॉम्पा संग करना तथा वन /वाह्य वन वृक्ष (ग्रामीण तथा शहरी) इन्वेंटरी कार्यों के व भन्न आँकडा संचयन का अनुवीक्षण करना ।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद पीएच(पीडबल्यूडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(xxii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-12116	
	(क) पद का नाम	पुस्तकालय ल पक
	(ख) वर्गीकरण	समूह 'ग' गैर तकनीकी, अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	01 (01 - अना)
	(घ) विभाग	प्रौढ़ शक्षा निदेशालय, मानव संशाधन मंत्रालय, स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

	(ङ) आयु	18-25 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	5200/-20200/- ग्रेड वेतन-1900/-(पीबी-1) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय (ii) वज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना वज्ञान में स्नातक डग्री। कसी पब्लिक पुस्तकालय में एक वर्ष का अनुभव
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ नई दिल्ली।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	सभी पुस्तकों और पत्रिकाओं, अखबार इत्यादि के सभी अ भलेख का रख रखाव। पुस्तकालय ल पक खरीदी गयी सभी पुस्तकों को स्टॉक रजिस्टर में प्र वष्टि करने के लए ज़िम्मेवार होगा। सभी प्रकार के पत्राचार भी पुस्तकालय ल पक का उत्तरदायित्व होगा। पुस्तकालय से संबन्धित सभी प्रकार के टंकण कार्य भी पुस्तकालय ल पक द्वारा कया जाएगा।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद शा. व के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(xxiii)	पद प्रवर्ग सं. :ईआर-12316	
	(क) पद का नाम	माप वज्ञान सहायक
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह ‘ख’ , अराजपत्रित
	(ग) रिक्ति	01(01-अना, जिसमे 01- एचएच भी शा मल है।)

	(घ) विभाग	उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ ग्रेड वेतन-4200/(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय /संस्थान या समकक्ष से भौतिकी में स्नातकोत्तर डग्री अथवा मैकानिकल /इलैक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ कम्प्युटर/ इन्स्ट्रूमैनटेशन इंजीन्यरिंग में डग्री।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ रांची (झारखंड)।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	प्रयोगशाला में तोलन(वेईंग) और मापन(मजरिंग) उपकरणो का अंशांकन और परीक्षण। व शक माप वज्ञान में प्रयोग कए जाने वाले बाटों एवं मापों एवं मापों का सत्यापन एवं मनकीकरण। प्रयोगशाला का रख-रखाव। राज्य सरकारों के अंतर्गत कार्य कर रहे बाट तथा माप वभागों के प्रवर्तन कर्मचारियों के लए डज़ाइन की गयी कार्यशालाओं , सम्मेलनों के आयोजन का प्रबंध करना और उन्हे बाट तथा माप उपकरणो के संचालन में श क्षत एवं प्र श क्षत करना।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद ओएच(ओएल एवं ओए) और एचएच(पीडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(xxiv)	पद प्रवर्ग सं. :ईआर-12416	
	(क) पद का नाम	वैज्ञानिक सहायक (रसायन)
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित

	(ग) रिक्ति	28 (17-अना, 04-अ पव, 04-अ.जा, 03-अ.ज.जा (जिसमे 01-ओएच शा मल है)।
	(घ) विभाग	राष्ट्रीय परीक्षण शाला , उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ ग्रेड वेतन-4600/(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	सी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से रसायन शास्त्र अथवा सूक्ष्म जै वकी में मास्टर डग्री अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से रसायन प्रौद्यो गकी अथवा के मकल इंजिनियरी में इंजिनियरी डग्री या प्रौद्यो गकी डग्री
	(ज) वांछनीय योग्यता	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की वश्लेषणकर्ता अथवा रसायन परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्य र्थयों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्य र्थयों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्य र्थयों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबं धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/गाज़ियाबाद/गुवाहाटी/जयपुर
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	संबं धत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबं धत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.)	ये पद ओएच(ओएल) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।

	अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	
(xxv)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-12516	
	(क) पद का नाम	वैज्ञानिक सहायक (आरपीटी)(रूबड़, प्लास्टिक और वस्त्र)
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित
	(ग) रिक्ति	05 (04-अना, 01-अ पव)(जिसमे 01-ओएच शा मल है।)
	(घ) विभाग	राष्ट्रीय परीक्षण शाला , उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ ग्रेड वेतन-4600/(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से भौतिकी अथवा रसायन शास्त्र में मास्टर डग्री अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से के मकल इंजिनियरी या वस्त्र प्रौद्यो गकी या रबड़ प्रौद्यो गकी अथवा प्लास्टिक इंजिनियरी अथवा पॉ लमर तथा रबड़ प्रौद्यो गकी अथवा के मकल प्रौद्यो गकी में इंजिनियरी स्नातक या प्रौद्यो गकी स्नातक।
	(ज) वांछनीय योग्यता	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की वस्त्र अथवा रबड़ अथवा प्लास्टिक अथवा कागज अथवा चमड़ा और उनसे नि र्मत उत्पादों का परीक्षण करने वाली कसी प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्य र्थयों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्य र्थयों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्य र्थयों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबं धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।

	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता/मुंबई/ चेन्नई/गाज़ियाबाद/गुवाहाटी/जयपुर।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	संबं धत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबं धत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद ओएच(ओएल) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(xxvi)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-12616	
	(क) पद का नाम	वैज्ञानिक सहायक (मैकानिकल)
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित
	(ग) रिक्ति	05 (03-अना, 02-अ पव)
	(घ) विभाग	राष्ट्रीय परीक्षण शाला , उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/- ग्रेड वेतन-4600/-(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	i) कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से भौतिकी में मास्टर डग्री अथवा ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से मेकैनिकल इंजिनियरिंग या धातु वज्ञान में इंजिनियरिंग स्नातक या प्रौद्यो गकी डग्री।
	(ज) वांछनीय योग्यता	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की कसी मेकैनिकल परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।

		टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्य र्थयों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्य र्थयों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्य र्थयों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबं धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/गाज़ियाबाद/गुवाहाटी/जयपुर।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	संबं धत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबं धत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद पीएच(पीडबल्यूडी) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(xxvii)	पद प्रवर्ग सं. : ईआर-12716	
	(क) पद का नाम	वैज्ञानिक सहायक (इलैक्ट्रिकल)
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह ‘ख’ , अराजपत्रित
	(ग) रिक्ति	08 (04-अना, 02-अ पव, 01-अ.जा, 01- अ.ज.जा)
	(घ) विभाग	राष्ट्रीय परीक्षण शाला , उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ ग्रेड वेतन-4600/(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)

	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से भौतिकी में मास्टर डग्री अथवा (ii)सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग या इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंग या इलैक्ट्रोनिक्स और दूरसंचार इंजिनियरिंग में इंजिनियरी डग्री या प्रौद्यो गकी डग्री।
	(ज) वांछनीय योग्यता	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की कसी प्रयोगशाला में उन्नयन इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स मापन का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्य र्थयों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्य र्थयों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्य र्थयों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबं धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/गाज़ियाबाद/गुवाहाटी/जयपुर।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	संबं धत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबं धत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद पीएच(पीडबल्यूडी)उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।

(xxviii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-12816	
	(क) पद का नाम	वैज्ञानिक सहायक (स वल)
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित
	(ग) रिक्ति	13 (08-अना, 03-अ पव, 01-अ.जा, 01-अ.ज.जा)
	(घ) विभाग	राष्ट्रीय परीक्षण शाला , उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/- ग्रेड वेतन-4600/-(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से भौतिकी अथवा रसायन शास्त्र में मास्टर डग्री अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से के मकल इंजिनियरी या के मकल प्रौद्यो गकी अथवा स वल इंजिनियरी में इंजिनियरी डग्री या प्रौद्यो गकी डग्री।
	(ज) वांछनीय योग्यता	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की कसी प्रयोगशाला में स वल इंजिनियरी सामग्री परीक्षण और मूल्यांकन कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्य र्थयों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्य र्थयों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्य र्थयों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबं धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/गाज़ियाबाद/गुवाहाटी/जयपुर।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	संबं धत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबं धत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।

	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद पीएच(पीडबल्यूडी)उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(xxix)	पद प्रवर्ग सं. : ईआर-12916	
	(क) पद का नाम	वैज्ञानिक सहायक (एनडीटी)(गैर वध्वंशक)
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित
	(ग) रिक्ति	03 (03-अना)
	(घ) विभाग	राष्ट्रीय परीक्षण शाला , उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ ग्रेड वेतन-4600/(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(i) कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से भौतिकी में मास्टर डग्री अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग या मेकैनकल इंजिनियरी या धातु वज्ञान में इंजिनियरी स्नातक या प्रौद्यो गकी स्नातक ।
	(ज) वांछनीय योग्यता	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के कसी गैर- वध्वसंक परीक्षण प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण-**1**: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्य र्थयों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण-**2**: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्य र्थयों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो

		इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्य र्थयों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबं धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/गाज़ियाबाद/गुवाहाटी/जयपुर।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	संबं धत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबं धत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।)	ये पद पीएच(पीडबल्यूडी)उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(xxx)	पद प्रवर्ग सं. : ईआर-13016	
	(क) पद का नाम	दौत्य कला सहायक
	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित
	(ग) रिक्ति	01 (01-अना-ओएच)
	(घ) विभाग	रक्षा मंत्रालय, संयुक्त स चव का कार्यालय(प्र शक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अ धकारी का कार्यालय, नई दिल्ली।
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/- ग्रेड वेतन-4200/-(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	(क) (i) कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय से इतिहास में मास्टर डग्री या समतुल्य; और (ii) डग्री स्तर में एक अनिवार्य या वैकल्पिक वषय के रूप में संस्कृत में मास्टर डग्री या समतुल्य; और

		(i) कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय से संस्कृत में मास्टर डग्री; और (ii) डग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक वषय के रूप में इतिहास (ख) प्राचीन इतिहास से संबन्धित तीन वर्ष का अनुसंधान का अनुभव । टिप्पण 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्य थर्यों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्रा धकारी के ववेकानुसार श थल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्रा धकारी के ववेकानुसार अनुसू चत जातियों और अनुसू चत जन जातियों के अभ्य थर्यों की दशा में तब श थल की जा सकती है जब चयन के कसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्रा धकारी की यह राय है क उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरने के लए अपे क्षत अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्य थर्यों के अभ्य थर्यों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ नई दिल्ली।
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	सहायक निदेशक(हेराल्ड्री) के कामों में मदद करना।देश में वंशावली चन्हों से संबन्धित कलाशास्त्र के इतिहास, संस्कृति और पौरा णक शास्त्रों का अनुसंधान करना।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद ओएच(ओएल/ओए) और एचएच उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(xxxi)	पद प्रवर्ग सं.:ईआर- 13116	
	(क) पद का नाम	ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक

	(ख) वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति	04(03-अना, 01-अ पव) (जिसमे 01–ओएच/सीपी शा मल है)
	(घ) विभाग	जल संसाधन नदी वकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग,महानदी एवं पूर्वी नदी संस्थान, भुवनेश्वर
	(ङ) आयु	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान	9300/-34800/ ग्रेड वेतन-4200/(पीबी-2)(**6**ठा वेतन आयोग अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता	कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय से रसायन में स्नातकोत्तर।
	(ज) वांछनीय योग्यता	शून्य
	(झ) प्रारंभिक तैनाती का स्थान	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ
	(ञ) कार्य अपेक्षाएं	1.) फजियो रसायनिक , जै वक और सूक्ष्म जै वक जल गुणवत्ता के मानको के निर्धारण के लए पानी के नमूनो का वश्लेषण करना। 2.) सहायक अनुसंधान अ धकारी को प्रयोगशालाओं में अत्य धक परिष्कृत उपकरणों अर्थात आईसीजी,एचपीसीएल,आस, टीओसी वश्लेषक का उपयोग कर ट्रेस और वषाक्त तत्वों और कार्बोनिक यो गकों के वश्लेषण में सहायता करना । 3.) प्रयोगशाला के उपकरणों का आपरेशन और रखरखाव करना। 4.) पानी की गुणवत्ता, तलछट और बिस्तर सामग्री वर्ष पुस्तकों के रूप में डाटा का संकलन एवं प्रकाशन में सहायता करना। 5.) डीओ और बीओडी के सर्वेक्षणो के लए वशेष अध्ययन करना। 6.) उपयोगकर्ताओं के मांग पर चयनित स्थलों पर निर्दिष्ट परीक्षणों पर रिपोर्ट के लए जल की उपयुक्तता पर वशेष ध्यान देते हुए जल गुणवत्ता स्थिति रेपोर्ट्स बनाने में सहायता करना। 7.) जल गुणवत्ता बुलेटिनों और अन्य रिपोर्ट की तैयारी में सहायता करना। 8.) नदियों, झीलों/जलाशयों में जल गुणवत्ता के प्रबोधन के लए व भन्न योजनाओं से संबन्धित एनएफ़सी मेमो और कार्य आंकलन बनाने में सहायता करना। 9.) उन्नत, परिष्कृत और आयातित उपकरणों सहित व भन्न उपकरणों की खरीद के

		लए तकनीकी वनिर्देशों की तैयारी करने में सहायता प्रदान करना। 10.) एसडबल्यूडीईएस(SWDES) प्रपत्र में पानी की गुणवत्ता और तलछट देता को प्र वष्टि करना। 11.) अंतर प्रयोगशाला आश्वाशन कार्यक्रम के अभ्यास में भाग लेना। 12.) सहायक अनुसंधान अ धकारी/ अनुसंधान अ धकारी/ वरिष्ठ अनुसंधान अ धकारियों को व भन्न वैज्ञानिक/ तकनीकी कार्यों में सहायता प्रदान करना । 13.) बिस्तर सामाग्री के नमूनो के वश्लेषण का कार्य करना।
	(ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) : अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश(स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्यौरों सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है ।)	ये पद ओएच/सीपी(ओएल/ओए) एवं एचएच उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।

टिप्पणी-I : इन रिक्तियों को संबंधित मांगकर्ता कार्यालयों द्वारा भेजी गई मांग के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया है । मांगकर्ता कार्यालयों द्वारा रिक्तियां वापस लेने/रिक्तियों में परिवर्तन के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा ।

टिप्पणी-II : वे अभ्यर्थी, जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए तथा प्रत्येक पद के परीक्षा शुल्क का भुगतान करना चाहिए ।

5. **प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ :**

क.च.आ.: कर्मचारी चयन आयोग, मंः मंत्रालय, विः विभाग, काः कार्यालय, आयुः आयु-सीमा, अ.यो. :अनिवार्य योग्यता, वां.यो. : वांछनीय योग्यता, प्रा.तै.: प्रारंभिक तैनाती, अ.भा.से.दा. : अखिल भारतीय सेवा दायित्व, का.अ.: कार्य अपेक्षाएं, अना : अनारक्षित, साः सामान्य, अपिव : अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा : अनुसूचित जाति, अ.ज.जा : अनुसूचित जनजाति, भू.पू.सै : भूतपूर्व सैनिक, शा.दि. : शारीरिक दिव्यांग, अ.दि. : अस्थि दिव्यांग, श्र.दि. : श्रवण दिव्यांग, दृ.दिः : दृष्टि दिव्यांग, ए.बांः एक बांह प्रभावित, ए.पै.: एक पैर प्रभावित, दो.पै.: दोनो पैर प्रभावित, आं.ब.: आंशिक बधिर, अ.दृ.: अल्प दृष्टि, के.स.सि.क. : केन्द्रीय सरकार सिविलयन कर्मचारी ल.न.: लागू नही, अ.से.उः अन्य सेवारत उम्मीदवार ।

6. **राष्ट्रीयता/नागरिकताः**

अभ्यर्थी या तो :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो , या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी,1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया ,मालावी,जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

6.1 बशर्ते कि ऊपरीक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।

6.2 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे दिया जाएगा ।

7. **परीक्षा शुल्क, शुल्क के भुगतान से छूट तथा शुल्क के भुगतान का तरीका ।**

क. परीक्षा शुल्क

"भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड" अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से 100रु. (मात्र सौ रूपए)

किसी अन्य तरीके से भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा । भुगतान किए गए शुल्क को किन्हीं भी परिस्थितियों में लौटाया नहीं जाएगा । आवेदन किए गए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का अलग-अलग भुगतान किया जाए ।

ख. शुल्क के भुगतान से छूट

सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई है ।

8. **ऑनलाइन आवेदन तथा शुल्क का भुगतान कैसे करें :**

i) **अभ्यर्थियों को पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा ।**

ii) **अभ्यर्थी नोट करें कि केवल** http://ssconline.nic.in/selectionposts **पर भरे गए ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा । किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।**

iii) **अभ्यर्थी किसी पद के लिए केवल एक बार आवेदन करें । किसी एक पद के लिए अनेक आवेदनों की स्थिति में, केवल अंतिम आवेदन पर विचार किया जाएगा तथा सभी पिछले/पूर्व आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।**

iv) **ऑनलाइन आवेदनों को भरने की कार्यविधि अनुबंध-I(क) में दी गई है ।**

v) आवेदन प्रपत्र को ऑनलाइन भरने के पश्चात तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद, अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए तथा उस पर उसी फोटोग्राफ की प्रति चिपकानी चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन प्रपत्र को भरते समय किया गया था और इसके साथ आयु, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, जहां इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी(अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी

डब्ल्यू डी)/भूपूसै- उसी प्रारूप में जैसा कि विज्ञप्ति में दिया गया है) के समर्थन में प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें और उसे नीचे उल्लिखित पते पर क्षेत्रीय निदेशक को भेज दें ताकि यह शुल्क के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से दस दिनों के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय पहुँच जाए ।

क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.)
कर्मचारी चयन आयोग
पूर्वी क्षेत्र
निजाम पैलेस, प्रथम एम.एस.ओ. भवन (8वां तल)
234/4, ए जे सी बोस रोड,
कोलकाता- 700020

vi) ओ.एम.आर./कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदनों में दी गई सूचना को आयोग द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाएगा । दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को अस्वीकार करने के विरूद्ध किसी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना भरी है ।

vii) **महत्वपूर्ण :** अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर भरने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आयोग द्वारा समस्त पत्राचार केवल ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से ही किया जाएगा ।

9. **ऑनलाइन आवेदन भाग को भरने की अंतिम तिथि .29.09.2016.(5.00 बजे अपराह्न) है । ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि .26.09.2016.(5.00 बजे अपराह्न) है ।**

10. **अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि :**

(i) प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा का इस विज्ञप्ति के पैरा-4 में उल्लेख किया गया है ।

(ii) आयु और अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि इस आवेदन अर्थात .26.09.2016. के पंजीकरण भाग/आवेदन भाग को भरने की अंतिम तिथि होगी ।

(iii) पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अनुभव सहित अनिवार्य योग्यता है जहां कही इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है और वे ऊपर पैरा 10(ii) में उल्लिखित निर्णायक तारीख को आयु सीमा को भी पूरा करते हैं ।

(iv) उन पदों के लिए जहां एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र/विधा में अनुभव का एक अनिवार्य योग्यता के रूप में उल्लेख किया गया है, आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त उस क्षेत्र/विधा में अनुभव होने के अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(v) यदि अभ्यर्थी दावा करते हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं, विहित अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष हैं तो समकक्षता के समर्थन में भारत सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी जहां से उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी, द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों(संख्या और दिनांक सहित आदेश/ पत्र) को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(vi) अनिवार्य योग्यता के रूप में संगत भाषा में अपेक्षित प्रवीणता के संबंध में अभ्यर्थी ने उस भाषा का मैट्रिक स्तर तक अवश्य अध्ययन किया हो और यदि संगत भाषा मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है तो उक्त भाषा आवेदक की मातृभाषा अवश्य होनी चाहिए ।

टिप्पणीः **मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री दूरस्थ शिक्षा परिषद भारत सरकार से मान्यताप्राप्त होनी चाहिए । तदनुसार जब तक कि यह डिग्री उस अवधि के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिसमें कि अभ्यर्थी ने संगत योग्यता प्राप्त की है, तो उसे शैक्षिक योग्यता के प्रयोजन से स्वीकार नहीं किया जाएगा ।**

11.. **आयु-सीमा और ऊपरी आयु-सीमा में छूट :**
आयु-सीमा का पैरा-4 में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेख किया गया है ।

(क) आयु का प्रमाण

(क) आयोग द्वारा आयु के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी ।

(ख) **ऊपरी आयु-सीमा में छूटः**

आवेदकों की पात्र श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट नीचे दी गई है :

ऊपरी आयु-सीमा में छूट केवल तभी स्वीकार्य है जब आवेदक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उसका दावा करते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र श्रेणी कोड को भी सही तरीके से भरते हैं ।

'श्रेणी कोड', 'श्रेणी' तथा इस विज्ञप्ति के पैरा 10 में यथा-उल्लिखित 'ऊपरी आयु-सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट' नीचे दी गई है :-

गणना की तिथि को आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी-कोड : कोड सं.	श्रेणी	**ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट**
समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पदों के लिए		
01	अजा	05 वर्ष
02	अजजा	05 वर्ष
03	अ पि व	03 वर्ष
04	शा.दि.	10 वर्ष
05	शा.दि.(अपिव)	13 वर्ष
06	शा.दि.(अजा)	15 वर्ष
07	शा.दि.(अजजा)	15 वर्ष
08	भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित/सामान्य)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
09	भूतपूर्व सैनिक (अपिव)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)

10	भूतपूर्व सैनिक (अजा)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
11	भूतपूर्व सैनिक (अजजा)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
	समूह 'ख' पदों के लिए	
12	**केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित)** जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	5वर्ष
13	**केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव)** जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	8वर्ष (5+3) वर्ष
14	**केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा)** जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
15	**केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा)** जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
	समूह 'ग' पदों के लिए	
16	**केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित)** जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40वर्ष की आयु तक
17	**केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव)** जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	43वर्ष की आयु तक
18	**केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा)** जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष की आयु तक
19	**केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा)** जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष की आयु तक
	समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए	
20	अभ्यर्थी जो साधारणतया **जम्मू व कश्मीर** राज्य के अधिवासी रहे हों **(सामान्य/अनारक्षित)**।	05 वर्ष
21	अभ्यर्थी जो साधारणतया **जम्मू व कश्मीर** राज्य के अधिवासी रहे हों **(अपिव)**।	08 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतया **जम्मू व कश्मीर** राज्य के अधिवासी रहे हों **(अजा)**।	10 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतया **जम्मू व कश्मीर** राज्य के अधिवासी रहे हों **(अजजा)**।	10 वर्ष
	समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए	
24	**विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं** जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो **(अनारक्षित)**	35 वर्ष की आयु तक
25	**विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं** जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो **(अपिव)**	38 वर्ष की आयु तक
26	**विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं** जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो **(अजा)**	40 वर्ष की आयु तक
27	**विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं** जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो **(अजजा)**	40 वर्ष की आयु तक

28	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (सामान्य/अनारक्षित)	5वर्ष
29	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (अपिव)	8वर्ष (5+3) वर्ष
30	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा	10 वर्ष(5+5) वर्ष
31	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा	10 वर्ष(5+5) वर्ष
32	अन्य	समय समय पर जारी भारत सरकार के आदेशानुसार ।

टिप्पणी : आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में स्वीकार्य है । आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित श्रेणी के पद के लिए आवेदन करते है, वें आयु में छूट के हकदार नही है ।

12. **शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग के लिए शर्तें**

क. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अजा/अजजा) आवेदकों के लिए**

i. शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे अजा/अजजा आवेदकों को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-।।) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-।) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी उप जातियां/समुदाय, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

ख. **अन्य पिछड़े वर्ग(अपिव) आवेदकों के लिए**

i. अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक जो भारत सरकार के समय-समय पर यथा-संशोधित स्थायी अनुदेशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं हैं और आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-।।।) सक्षम प्राधिकारी (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-।) द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा प्रारूप [इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-।।।(क)] के अनुसार एक घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा । वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समुदाय विभिन्न राज्यों के लिए भारत सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल हैं ।

ii. इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा उल्लिखित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को, अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अधीन आवेदकों की गैर-क्रीमी लेयर प्रस्थिति की गणना की तारीख के रूप में माना जाएगा । तथापि अभ्यर्थियों के लाभ के लिए, आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि अथवा उससे पूर्व जारी किए गए अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाणपत्रों को भी स्वीकार किया जाएगा । अभ्यर्थियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके अपिव प्रमाणपत्र परीक्षा की तिथि से तीन वर्ष से पूर्व जारी न किए गए हो ।

अन्यथा, उनके अन्य पिछड़े वर्ग प्रस्थिति के साथ-साथ आयु में छूट और आरक्षण के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/आवेदनों पर सामान्य श्रेणी(अना) के अधीन विचार किया जाएगा ।

ग. **शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) (दिव्यांग व्यक्तियों)(अस्थि दिव्यांग/श्रवण दिव्यांग/दृष्टि दिव्यांग) आवेदकों के लिए :**

क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया है अथवा नहीं तथा दिव्यांगता की

स्वीकार्य प्रकृति का उल्लेख पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने किया गया है । शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल उन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए, जिन पदों के लिए वे पात्र हैं ।

i. केवल वे शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता 40% अथवा अधिक है, **शुल्क में रियायत, आयु में छूट, आरक्षण इत्यादि के लिए पात्र हैं ।**

ii. उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट-आउट के साथ, विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप **[परिशिष्ट-VI(प्रपत्र-II)/(प्रपत्र-III)/ प्रपत्र-IV)]** के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) प्रस्थिति के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

घ. **शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेश ।**

क. चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा । **एक आँख वाले** और आंशिक रूप से दृष्टिहीन **अभ्यर्थी** जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के सभी अभ्यर्थियों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी **प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे** । ऐसे अभ्यर्थियों को स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा। **चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की** दृष्टि दिव्यांगता वाले **दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.)** अभ्यर्थी तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी ओ.एम.आर./कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए **प्रलिपिक** की सहायता का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि आवेदन पत्र को भरते समय आयोग के समक्ष ऐसा अनुरोध किया गया हो । प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को दृ.दि. अभ्यर्थियों के समुतल्य प्रलिपिक एवं अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जाएगी । प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक ब्रेल में मुहैआ नहीं कराएं जाएंगे । दृष्टिहीन तथा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थियों सहित दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं अपना **टेलर फ्रेम और कागज के साथ ब्रेल स्लेट** ला सकते हैं । परीक्षा परिसर के अन्दर दृ.दि./ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ किसी **परिचर** को आने की अनुमति **नहीं** दी जाएगी ।

(ख) अतिरिक्त समय का प्रावधान : दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को आयोग के निर्णयानुसार परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।

ङ. **भूतपूर्व सैनिक आवेदकों के लिए विशेष अनुदेश ।**

(i) शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) से प्राप्त प्रारूप(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-V) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा और प्रारूप[इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- V(क)] के अनुसार एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ii) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओ के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति जैसे को छोड़कर उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित **आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओ की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

(च) भूतपूर्व सैनिक : भूपूसै से **आशय** उस व्यक्ति से है-

(i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना मे लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या

(ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या

(ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं,नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा

(iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए है और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पैंशन मिली हुई है; अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल,1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

(V) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा

(vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

(छ) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

(i) मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में **कम से कम 15 वर्ष की** सेवा की हो, को समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा । अतः ऐसे गैर स्नातक भूपूसै, जिन्होनें इस विज्ञप्ति के पैरा-8 में यथा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, उन्हें मानद स्नातक आवेदक नहीं माना जाएगा ।

(ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.4.92 के का.ज्ञा.संख्या 36034/6/90-स्था.एससीटी के अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिक आवेदक, जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर पहले से ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट प्राप्त करने के पात्र है, लेकिन उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे । वे भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य शुल्क में रियायत के लिए भी पात्र नहीं होंगे । ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को इस भर्ती के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा ।

तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अगस्त,2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) के अनुसार, भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है तो वह किसी उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण के लाभ को प्राप्त कर सकता है । तथापि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, कोई भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करता है उसे विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरों के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा पत्र/वचन पत्र

देना चाहिए । इसके अतिरिक्त, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती आधार पर भरी जाती हैं तथा जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है ।

(iii) सेवा लिपिक, जो अपनी कलर सेवा के अंतिम वर्ष में है, वे शुल्क के भुगतान से छूट के पात्र नहीं है ।

(ज) केन्द्रीय सरकार सिविल कर्मचारी(सीजीसीई)आवेदकों के लिए अनुदेश

(i) केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा-उल्लिखित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को नियमित आधार(और तदर्थ आधार पर न हो) पर कम से कम 03 वर्ष की निरन्तर सेवा प्रदान की हो और उसे भारत सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में सिविल पद धारण करते हुए केन्द्रीय सरकार की सेवा में तक कार्यरत रहना चाहिए जब तक कि अभ्यर्थी को उस कार्यालय/विभाग से नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता, जहां अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से संस्तुति की गई है ।

(ii) आयु में छूट प्राप्त करने के लाभ का दावा करने के लिए उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) से प्रारूप (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV(क)) भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयु में छूट प्राप्त करने के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी पद के लिए आवेदन कर रहे केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट आउट के साथ एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- IV (क)) कि उन्होंने अपने कार्यालय में सूचित कर दिया है तथा साथ ही वे दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को भर्ती प्रक्रिया के उसी स्तर पर ही अथवा किसी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है ।

अभ्यर्थी नोट करें कि यदि परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की अनुमति रोकने के संबंध में आयोग द्वारा उनके नियोक्ता से कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा ।

13. दस्तावेजों का सत्यापन

क. आवेदकों द्वारा अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में, अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्राप्तांकों का प्रतिशत, आयु का प्रमाण, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी श्रेणी का प्रमाण[अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै-विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप में] के बारे में, अपने आवेदनों के प्रिंट आउट के साथ अपने समस्त प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित सुपाठ्य प्रतियां अवश्य संलग्न की जाए, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर अथवा भर्ती प्रक्रिया के किसी स्तर पर अस्वीकार की जा सकती है ।

ख. वे ओ.एम.आर./कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में समस्त मूल प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की स्थिति में हों, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को उसी स्तर पर अथवा किसी उत्तरवर्ती स्तर पर निरस्त किया जा सकता है ।

ग. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/ अपिव/ शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै/सी.जी.सी.ई. दर्जे का दावा करते हैं अथवा इन श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आरक्षण/आयु में छूट का दावा करने के लिए अथवा अनिवार्य योग्यता/ अनुभव/आयु के प्रमाण के समर्थन में जाली प्रमाणपत्र/दस्तावेज/अंकतालिकाएं प्रस्तुत करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी तौर पर वारित किया जा सकता है ।

14. आवेदन-पत्र को निरस्त/र÷ करने के कारण :

निम्नलिखित सभी या किसी भी स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदन-पत्र/ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सरसरी-तौर पर निरस्त/र÷ की जा सकती है :-

i. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में,

ii. हस्ताक्षरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर,(मुद्रित आवेदन-प्रपत्र और अन्य दस्तावेजों में किए गए हस्ताक्षर(पूर्ण,अल्प नहीं) अनिवार्य रूप से एक जैसे होने चाहिए),

iii. आवेदन-पत्र में साफ और स्पष्ट फोटोग्राफ न होने की स्थिति में,

iv. परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में , यदि कोई छूट न प्रदान की गई हो, तो

v. अनुदेशों के अनुसार फीस का भुगतान न करने पर

vi. कम/अधिक आयु वाले अभ्यर्थी,

vii. शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, आयु प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र [अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पीडब्ल्यूडी)/भूपूसै] के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के समर्थन में मुद्रित आवेदन प्रपत्रों सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की स्वं-सत्यापित सुपाठ्य प्रतियों का अग्रेषण न करने पर,

viii. आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बद होने की तारीख को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/श्रेणी स्थिति न होने की स्थिति में,

ix. विषय तथ्यों के बारे में गलत सूचना या मिथ्या विवरण देना या छिपाना

x. संगत दस्तावेजों की स्वं-सत्यापित प्रतियों सहित मुद्रित आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना

xi. परीक्षा भवन/हाल में मोबाइल फोन/सहायक उपसाधनों को ले जाना,

xii. अन्य कोई भी अनियमितता के कारण

xiii. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना

<u>टिप्पणी : I</u> अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर/हाल के अन्दर मोबाइल फोन/किसी भी अन्य संसूचना यत्रों को लाने की अनुमति नहीं होगी और इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को कर्मचारी चयन आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से, आपराधिक प्रक्रियाओं के शुरू होने के बिना, वंचित कर दिया जाएगा।

<u>टिप्पणी : II</u> अभ्यर्थियों को अपने वाल पैन/एचबी पैंसिल, रबर साथ लाने होंगे। अभ्यर्थियों को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जैसे पुस्तके, नोटशीट, खुली शीट, मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रानिक गैजेट आदि के अलावा किसी भी वस्तु को परीक्षा हाल में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

15. चयन प्रक्रियाएं :-

क. सरकार द्वारा जूनियर स्तर के पदों के लिए होने वाले साक्षात्कारों को हटा लिया गया है। तदनुसार, चयन पदों की भर्ती ओएमआर/कंप्यूटरीकृत आधारित वस्तुनिष्ठ बहुल विकल्प परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।

ख. आवेदन पत्र पर अभ्यर्थियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अभ्यर्थियों को ओएमआर/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए सूची-बद्ध चयननित जाएगा। अभ्यर्थियों को 1:25 केअनुपात में चयनित किया जाएगा अर्थात् प्रत्येक रिक्ति के लिए, पात्र अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्धता के आधार पर, 25 अभ्यर्थी होंगे। पांच के गुणकों में, प्राप्त अंकों के प्रतिशत के उपयुक्त निर्धारित प्रतिशत का प्रयोग करने से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुछ अधिक या कुछ कम भी हो सकती है।

ग. ओएमआर/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का सूची बद्ध चयन करने के प्रयोजन से, आयोग विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंड का पालन करेगा और अंतिम वर्ष की अंकतालिका विवरण में दर्शाए गए अनुसार अंकों के प्रतिशत को आकलन में लेगा। आयोग, अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों/ग्रजुऐशन के प्रत्येक वर्ष में प्राप्त किए गए अंकों को जमा करके अंकों के प्रतिशत को आकलन करने की जिम्मेवारी नहीं लेगा, इसके बजाए अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शाए गए अनुसार अंकों के प्रतिशत/सीजीपीए को आकलन में लेगा।

घ. जहां पर अंकों के संगत प्रतिशत को दर्शाए बिना, अभ्यर्थी की मेरिट सीजीपीए में अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शायी गई हैं तो आयोग, यदि किसी भी संगत प्रतिशत का आकलन करना हो, प्रमाण-पत्र में विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दर्शाए

मानदंड का अनुकरण करेगा । अन्य सभी मामलों में आयोग(X)9.5 से गुणा करके सीजीपीए(जैसा कि अंतिम वर्ष की अंकतालिका विवरण में दर्शाया गया है) के परिवर्तन(कनवर्जन) सूत्र का प्रयोग करेगा ।

ङ. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध चयनित करने के लिए अपनाया गया मानदंड होगा । इस प्रकार के सूचीबद्ध चयन के मानदंड के विरूद्ध कोई भी अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

च. अभ्यर्थी द्वारा उनके आवेदन पत्र में दी गई सूचना को आयोग द्वारा ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् मूल दस्तावेज के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना गलत है तो उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थिता की ऐसी निरस्तीकरण के बारे में किसी भी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र में सही सूचना भरी है।

16. परीक्षा की प्रणाली

(क) ऐसे पद जिसमें अनिवार्य योग्यता मैट्रिक्लूशन है, उस परीक्षा में प्रत्येक एक अंक वाले 150 प्रश्न होंगे जिसके निम्नलिखित चार घटक होंगेः-

सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	:	25 प्रश्न
संख्यात्मक अभिरूचि	:	25 प्रश्न
सामान्य अंग्रेजी	:	50 प्रश्न
सामान्य जानकारी	:	50 प्रश्न

(ख) ऐसे पद जिसमें अनिवार्य योग्यता उच्चतर माध्यमिक है, उस परीक्षा में प्रत्येक एक अंक वाले 200 प्रश्न होंगे जो निम्नानुसार हैंः-

सामान्य बुद्धिमत्ता	:	50 प्रश्न
परिमाणात्मक अभिरूचि	:	50 प्रश्न
अंग्रेजी भाषा	:	50 प्रश्न
सामान्य जानकारी	:	50 प्रश्न

(ग) ऐसे पद जिसमें अनिवार्य योग्यता किसी भी विषय में स्नातक तथा स्नातक/स्नातोकत्तर डिग्री (किसी भी विषय में विशेषज्ञता) है, उस परीक्षा में प्रत्येक एक अंक वाले 200 प्रश्न होंगे जो निम्नलिखित विषयानुसार होंगे।:-

सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	:	50 प्रश्न
सामान्य जानकारी	:	50 प्रश्न
परिमाणात्मक अभिरूचि	:	50 प्रश्न
अंग्रेजी परिज्ञान	:	50 प्रश्न

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक होंगे।

(घ) जहाँ अनिवार्य योग्यता में कौशल परीक्षा जैसे टंकण/डाटा एंट्री/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा इत्यादि विहित हैं , वहां ये आयोजित की जाएगी जो अर्हक स्वरूप की होंगी।

(ड) **अंतिम योग्यता सूची ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी।**

(च) **बराबरी (टाई) मामलों का निपटान**

जहां दो अथवा अधिक अभ्यर्थी ओ एम आर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा टाई मामलों का निपटान किया जाएगाः

i) जन्म तिथि को देखकर अर्थात् आधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
ii) अभ्यर्थी के प्रथम नाम के वर्णानुक्रम पर विचार करते हुए।

महत्वपूर्ण टिप्पणीः चयन पदों के लिए ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा चयनित शहरों/केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएगी तथा आयोग परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी निर्दिष्ट केन्द्र पर बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध/अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति के लिए संस्तुति

i. आयोग को अभ्यर्थी की प्रत्येक श्रेणी (अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/ शा.दि. (शा.दि.व्यक्ति)/भूतपू.सै./ सामान्य (अना) की प्रत्येक श्रेणी के लिए, जहाँ भी लागू हो कम्प्यूटर आधारित/ओएमआर आधारित बहुविकल्प ओ एम आर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा/कौशल परीक्षा में पृथक रूप से न्यूनतम अर्हक अंक नियत करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।

ii. परीक्षा तथा कौशल परीक्षा के पश्चात् जहां भी लागू हो आयोग ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। आयोग ने ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक निर्धारित किए हैं। योग्यता सूची की स्थिति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक प्राप्ति के अध्यधीन नियुक्ति के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या जितने अभ्यर्थियों को संस्तुत किया जाएगा।

iii. अजा.अजजा तथा अपिव श्रेणी के उन अभ्यर्थियों जिनका शिथिल मानकों(अर्थात् आयु सीमा और शॉर्ट लिस्टिंग मापदंड में छूट) के बिना अपनी योग्यता से चयन होता है उन्हें रिक्तियों की आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्त्यिों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्ति, यदि कोई विज्ञापित की गई हैं तो उसे योग्यता सूची में कम स्थिति वाले पात्र अजा. अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।

iv. शा.दि(दिव्यांग व्यक्ति) अभ्यर्थी जो इस प्रकार की श्रेणियों के लिए नियत चयन और शार्टलिस्टिंग मानदंड में छूट लिए बिना अपनी संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए नियत मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्हें अनारक्षित रिक्ति के प्रति संस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि वह पद दिव्यांगता की उस विशेष श्रेणी के व्यक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

v. भूतपूर्व सैनिक अथवा शा.दि.(दिव्यांग जन) श्रेणी का अभ्यर्थी जो शिथिल मानक के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है उसके नाम पर केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।

vi. जहाँ तक कि भूतपूर्व-सैनिक/शा.दि. अभ्यर्थी से संबंधित मामलों का संबंध है आरक्षित अथवा अनारक्षित पदों के लिए आयु में छूट अनुज्ञेय है, तथा ऐसी छूट को आयु से संबंधित शिथिल मानदंड नहीं कहा जा सकता है।

vii. परीक्षा में सफलता ही नियुक्ति के लिए अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि सरकार ऐसी जांच/दस्तावेज सत्यापन, जो आवश्यक समझी जाए, के पश्चात् संतुष्ट न हो कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है।

17. **नौकरी के अवसरों में बेरोजगारों की अधिक सुलभता की सरकारी पहल के अनुसरण में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अपनी-अपनी वेबसाइट पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उन गैर-चयनित अभ्यर्थियों का विवरण अपलोड करेंगे। जो अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों सहित अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंकों को प्राप्त कर रहे है। इसका उद्देश्य यह है कि अन्य निजी/सार्वजनिक एजेंसी, यदि वे चाहे तो अपने संगठन में पदों की भर्ती के लिए इस डाटा को प्रयोग कर सकते हैं । इस उद्देश्य के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विकल्प**

चुनना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का डाटा, जो प्रकटीकरण योजना का विकल्प नहीं भरते हैं, वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

18. **जिस व्यक्ति नेः**

क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या

ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह करने का अनुबंध किया है, तो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. **अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य**

अभ्यर्थी का मानसिक एवं शरीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसे ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। जो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए चिकित्सा जांच में इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों की ही चिकित्सा जांच की जाएगी।

टिप्पणीः दिव्यांग भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा डिमोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन हेतु पर्यात्प माना जाएगा।

20. <u>दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई :</u>

(i) अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए । अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी जाती है कि उन्हें किसी भी मामले में प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज या अनुप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी प्रविष्टि में परिवर्तन या किसी प्रकार से हेरफेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए न ही उन्हें हेर फेर किए गए /जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए । यदि कोई गलती अथवा विसंगति पाई जाती है, तो इस विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(ii) निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई/3वर्ष तक वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :

(i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहें इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो ।
(ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर ।
(iii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर
(iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो ।
(v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो ।
(vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो ।
(vii) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है ।
(viii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो ।
(ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो ।
(x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।

(xi)परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।

21. पक्षप्रचारः

किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

22. आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा चयन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

23. न्यायालय/न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसका क्षेत्राधिकार उस स्थान जहाँ___ कर्मचारी चयन आयोग का क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं अर्थात _कोलकाता_ का न्यायालय/न्यायाधिकरण ।

<u>परिशिष्ट-I</u>

क्र.सं.	परिशिष्ट सं.		जाति/समुदाय/श्रेणी		सक्षम प्राधिकारी
1.	परिशिष्ट-I(क)		आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश/आवेदन भरने के लिए निर्देश		
2.	परिशिष्ट-I I		अ.जा/अ.ज.जा.	i	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालिका मजिस्ट्रेट।
				ii	मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
				iii	कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी
				iv	उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
				टिप्पणीः	तमिलनाडु राज्य के अजजा अभ्यर्थी को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
3.	परिशिष्ट-III		अपिव	i	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त /प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए ।
				ii	मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
				iii	कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी
				iv	उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
				टिप्पणीः	आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अभ्यर्थी के अपिव दर्जे की गणना तिथि के रूप में ली जाएगी और यह समझने के लिए भी कि आवेदक क्रीमी लेयर में नहीं आता है ।
4.	परिशिष्ट-III (ए)				स्वयं आवदेक
5.	परिशिष्ट-IV		साजीसीई		कार्यालय प्रधान या विभागीय प्रधान
6.	परिशिष्ट- IV (ए)		ईए/सीजीसीई		स्वयं आवेदक
7.	परिशिष्ट-V		भूपूसै		कमान अफसर
8.	परिशिष्ट-V (ए)				स्वंय आवेदक
9.	परिशिष्ट-VI	फार्म-II	दिव्यांग व्यक्ति		चिकित्सा बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष तथा चिकित्सा अधीक्षक/मु.चि.अ./चिकित्सालय के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षित
		फार्म-III			
		फार्म-IV			

आवेदन के पंजीकरण/ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया/ अनुदेश

1. चयन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को http://ssconline.nic.in/selectionposts पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा । अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण करके कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किसी भी चयन पद के लिए आवेदन कर सकता है।

2. अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण की सुविधा वेबसाइट http://ssconline.nic.in/selectionposts पर पूरे वर्ष उपलब्ध है।

3. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण फार्म/आवेदन पत्र भरने से पहले वेबसाइट http://ssconline.nic.in/selectionposts के पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।

4. अनुदेशों को पढ़ने के पश्चात् अभ्यर्थियों को पंजीकरण भाग में जाना चाहिए तथा ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरना चाहिए।

5. पंजीकरण भाग में अभ्यर्थियों को स्वयं से संबंधित मूलभूत सूचना भरनी होगी। विवरण जमा करने पर फार्म जमा करने से पहले अभ्यर्थी को विवरण की जांच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र भरते समय सभी अपेक्षित सूचना प्रदान करनी चाहिए। अनिवार्य क्षेत्र को तारक चिह्न से अंकित किया गया है।

7. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड वाला पृष्ठ तैयार हो जाएगा। पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड को लिख लें तथा उन्हें सुरक्षित रखें।

8. यह आपका स्थायी पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड होगा जो चयन पदों के आवेदन के लिए अपेक्षित होगा।

9. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर अभ्यर्थी को अपने हाल ही के निर्धारित आकार के रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर ऑपलोड करने होंगे।

10. फोटोग्राफ के फाइल का डिजिटल आकर 4 केबी से ज्यादा तथा 20 केबी से कम होना चाहिए तथा इसका रेजाल्यूशन 100 पिक्सल चौड़ाई का तथा 120 पिक्सल ऊँचाई का होना चाहिए।

11. हस्ताक्षर जेपीजे फार्मेट में ऑपलोड करना चाहिए। हस्ताक्षर फाइल का डिजिटल आकार 1 केबी से ज्यादा तथा 12 केबी से कम होना चाहिए तथा इसका रेजाल्यूशन 40 पिक्सल चौड़ाई का तथा 60 पिक्सल ऊँचाई का होना चाहिए।

12. अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर ऑपलोड करने के पश्चात् ही पंजीकरण पूरा होगा।
13. पंजीकरण भाग पूरा करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए।

14. पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी प्रणाली में ऑगईन कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र भर सकते हैं।

15. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञप्ति के अनुदेशों की सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।

16. ऑनलाइन आवेदन (डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) की सुविधा 27.08.2016 से 26.09.2016- (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं वह- 26.09.2016 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा में भुगतान कर सकते हैं, बशर्तें कि चालान दिनांक 26.09.2016 को सायं 5.00 बजे से पहले जेनरेट किया गया हो। चालान निकालने की सुविधा केवल दिनांक 26.09.2016 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी।

17. आवेदन भाग में भुगतान का ब्यौरा भरना भी अपेक्षित है।

18. भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान के लिए अभ्यर्थी को आवेदन भाग के पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन निकाले गए चालान का प्रिंट लेना चाहिए तथा भारतीय स्टेट बैंक के देय शाखा में अपेक्षित शुल्क जमा करना चाहिए। उसके बाद प्रणाली में अपने पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड सहित लॉगईन करें तथा निर्धारित तिथि और समय के भीतर विवरण जमा करें।

19. आवेदन पत्र में परिवर्तन/सुधार के लिए किए गए अनुरोध पर किसी भी पररिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

20. फोटोग्राफ/हस्ताक्षर रहित अथवा धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले अथवा किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*........................ ....
पुत्र/पुत्री..निवासी ग्राम/कस्बा*
.... जिला/संभाग*..................................राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र*....................के ....जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950...

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950..

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*...

संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*...

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.............................

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ....के माता/पिता श्री/श्रीमती..निवासी ग्राम/कस्बा*..............................जिला/संभाग*................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ... .जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो...................................... दिनांक ....द्वारा जारी......................राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*. .... जिला/संभाग*......................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.............................में रहता है ।

हस्ताक्षर........................

**पदनाम.....................

स्थान..................

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक.................

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

परिशिष्ट-III

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ....

पुत्र/पुत्री .... ग्राम ....

जिला/संभाग ....राज्य .... समुदाय से संबंघित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या................ के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है

श्री/श्रीमती/कु.................................... तथा/या उनका परिवार सामान्यतः................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8. 9. 1993 ** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांकः

कार्यालय का मुहरः जिलाधीश या उपायुक्त आदि।

*-जो प्राधिकारी ये प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं, उन्हें जहां भी उम्मीदवार की जाति अपिव उल्लिखित है, वहाँ भारत सरकार के संकल्प संख्या का विवरण देना होगा।

**- * समय समय पर यथा संशोधित।

<u>टिप्पणी ।(क):-</u> यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

(ख): जाति प्रमाणपत्र जारी करने सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट अतिरिक्त सहायक आयुक्त/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।(प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

आयु में छुट, आरक्षण आदि के लिए अपिव उम्मीदवारों द्वारा जमा किए जाने वाले घोषणा

(कृपया सूचना के अनुच्छेद-9 (ख) को देखें)

मैं----------------------------श्री-----------------------------के ------------------पुत्र/पुत्री

----------------ग्राम/नगर/शहर----------------------जिला-----------------राज्य----------- का निवासी एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं--------------------------------समुदाय से संबंधित हूँ जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-----------------दिनांक------------ के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के सोद्देश्य से पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता है। ये भी घोषित किया जाता है कि मैं ऊपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-2016 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

*(अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर)

स्थानः

दिनांकः

आयु में छूट चाहने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कर्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -9(ड.) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो__________ रू. के वेतनमान में ___________ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं। उन्हें दिनांक--------------- को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं।

हस्ताक्षर_________________

नाम एवं पदनाम _________________

कार्यालय की मुहर _____________

स्थानः

दिनांकः

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के घोषणा सहित सभी आवेदक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -9(च) देखें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को पहले ही लिखित में सूचित किया है कि मैंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है तथा आवेदन जमा करने की तिथि तक मेरे खिलाफ न तो कोई सतर्कता निकासी लम्बित है अथवा अवेक्षित है।
मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँः
नियुक्ति की तिथि :___
वर्तमान पद तथा वेतनमान :___
दूरभाष सं./फैक्स/ई-मेल सहित कर्मचारी का नाम व पता :___

स्थान तथा दिनांकः

*आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

अनुबंध V

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(संगठन के पत्र शीर्ष पर)

(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 9 (घ) को देखें)

मैं एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर)……………………………………(रैंक)……………………………………(नाम)………………………… …………………………(दिनांक)………………………………को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थानः (कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः कार्यालय की मुहरः

भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा

मैं यह जानता/जानती हूं कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूं ।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी ।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूँः

क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि__

ख) कार्यमुक्त की तिथि __

ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि__

घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर __

ड.) पुनः नियुक्ति का ब्यौरा, यदि कोई__

(अभ्यर्थी के पूरे हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

अनुबंध -VI(प्रारूप-।।)

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं अधांपन के मामले में)
(नियम 4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्रसंख्या....................................... दिनांक...........................प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी--------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री --- जन्म तिथि ------------------आयु...... (दि./म/.व.) ....पुरूष/महिला---------------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.......................................स्थायी आवास मकान नं................................

वार्ड/गांव/गली................................डाकघर.......................जिला.............................

राज्य.................................

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ किः-

(क) उनका मामला ः

- गतिविषयक विकलांगता
- नेत्रहीनता का है
  (जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में..............................निदान किया गया है ।

(क) वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने........................(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में ....%(अंकों में).......................प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीडित हैं ।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है ः-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध -VI(प्रारूप-III)

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु विकलांगता के मामले में)
(नियम 4 देखें)

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या...
दिनांक...................................

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---जन्म तिथि ------------------आयु...... (दि./म/.व.)

.................पुरूष/महिला----------------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.......................................स्थायी आवास मकान नं................................

वार्ड/गांव/गली.................................डाकघर.......................जिला.............................

राज्य................................जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ किः-

(क) उनका मामला बहु-विकलांगता का है । निःशक्तता के लिए दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे मार्क करके निम्नलिखित सारणी में संगत निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनो आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

कृपया उस निःशक्कतता को काट दें जो लागू न हो
(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे
 # उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें
£ उदाहरणत : बाएं/दाएं/दोनों कान)
(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशानुसार(ब्यौरा दिया जाए) उनका/उनकी समग्र शारीरिक क्षति निम्नानुसार है :-
अंकों में............................प्रतिशत
शब्दों में ....प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) ....वर्ष ....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र .... तक मान्य रहेगा।
तारीख माह वर्ष

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(प्रारूप ।। एवं ।।। में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)
(नियम 4 देखें)

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या...
दिनांक...................................

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी------------------------------------
सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---जन्म तिथि ------------------आयु......
(दि./म/.व.)
.................पुरूष/महिला----------------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या...स्थायी आवास मकान नं.................................

वार्ड/गांव/गली.................................डाकघर.......................जिला.............................

राज्य................................जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि उनका मामला................**निःशक्तता** है । निःशक्तता के लिए(ब्योरा दिया जाए) दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :-

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनो आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उस निःशक्तता को काट दे जो लागू न हो)
(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे
उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें
£ उदाहरणत : बाएं/दाएं/दोनों कान)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :
(i) आवश्यक नहीं है
अथवा
(ii) ....वर्ष ....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र .... तक मान्य रहेगा ।
तारीख माह वर्ष

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मुहर)

यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी हस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर